CMYK

11th

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT

2010 - 11

उद्यमशीलता को प्रोत्साहन। संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण को समर्थन

Encouraging Entrepreneurship. Enabling Collateral Free Credit

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

(भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

(Set up by Government of India and SIDBI)

CGTMSE

CMYK

अनुमोदनों की संख्या (संचयी)
Number of Credit Facilities Approved

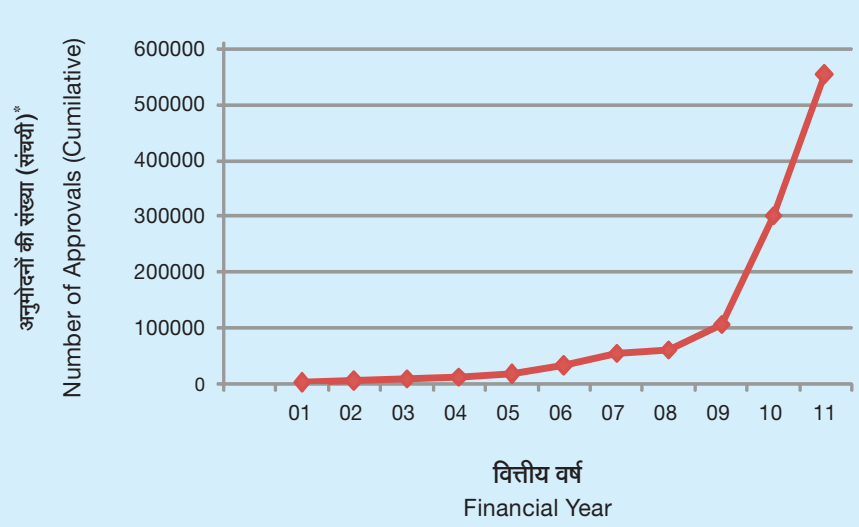

अनुमोदनों की राशियाँ (संचयी)
Amount of Approvals (Cumulative)

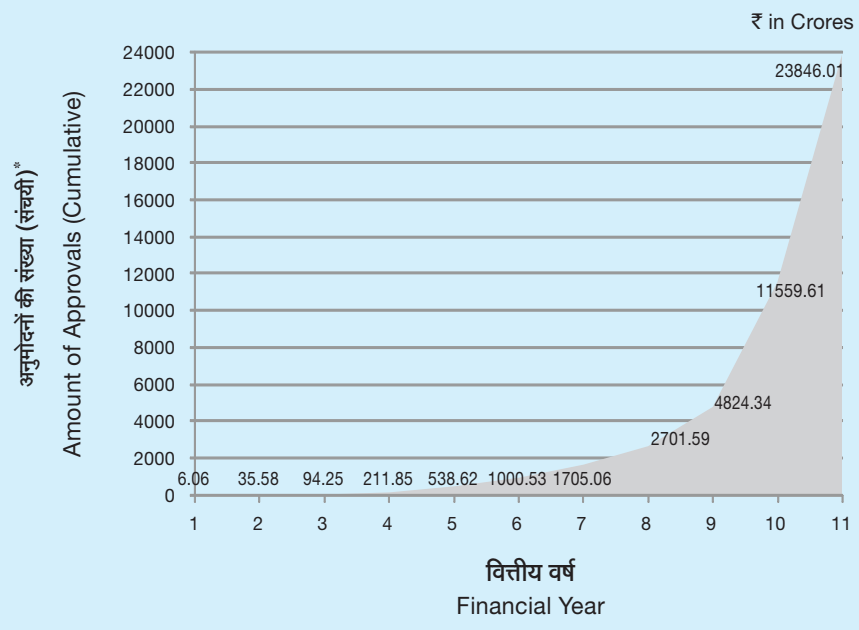

विषय–सूची

01 प्रेषण–पत्र

02 अध्यक्ष का संदेश

03 मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

04 न्यासी मंडल (यथा 28 सितंबर, 2011)

05 भारतीय अर्थव्यवस्था

06 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कामकाज की रिपोर्ट

07 लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

08 तुलन पत्र एवं लेखा–विवरण

CMYK

CMYK

प्रेषण–पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट,
एमएसएमई विकास केंद्र, 7वाँ तल,
सी–11/जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

28 सितंबर, 2011

प्रति,
संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई),
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार,
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय,
निर्माण भवन, 7वाँ तल, ए विंग, मौलाना आज़ाद रोड,
नई दिल्ली 110 011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग,
लखनऊ 226 001

महोदय,

संस्थापकों, भारत सरकार तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निष्पादित की गई ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के अनुसार मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित कर रहा हूँ–

1) ट्रस्ट की 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित लेखों की प्रति, तथा लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट,

2) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कामकाज संबंधी रिपोर्ट की प्रति।

भवदीय,

ह. /–
(यू. आर. टाटा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुंबई
28 सितंबर, 2011

अध्यक्ष का संदेश

"सीजीटीएमएसई ने वित्तीय वर्ष 2010–11 में दो नए मुकाम हासिल किए। एक तो इसने वर्ष के दौरान 2.50 लाख गारंटी अनुमोदन प्रदान किए और दूसरे 31 मार्च, 2011 तक संचयी रूप से 5.5 लाख गारंटी अनुमोदन प्रदान किए। संचयी रूप से 31 मार्च, 2011 तक ₹ 23,846.01 करोड़ के लिए 5,51,740 गारंटी अनुमोदन प्रदान किए गए। इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कवर किए गए खातों की संख्या में 68% और गारंटीकृत राशि में 83% की वृद्धि हुई।"

अध्यक्ष का संदेश

एमएसएमई क्षेत्र भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। यह बहुत तेज गति से विकसित हो रहा है। यह भारत के विनिर्माण व निर्यात में 40% से अधिक का योगदान भी करता है। इसके साथ–साथ, लगभग 7 करोड़ लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। एमएसएमई क्षेत्र विशाल है और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है।

सीजीटीएमएसई, लगभग एक दशक से अस्तित्व में है और इसने एक ऐसी महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में खुद को स्थापित किया है जो एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को कोलैटरल रहित ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। सीजीटीएमएसई ने बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी कवर प्रदान करके उनके अंदर विश्वास पैदा किया है और एमएसएमई को और अधिक उधार देने के लिए इन संस्थाओं को प्रोत्साहित किया है। यह गर्व और संतोष का विषय है कि काफी कम अवधि में ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के अंतर्गत कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सीजीटीएमएसई ने प्रौद्योगिकी का सदुपयोग किया है और इसके समस्त परिचालन ऑनलाइन है।

सीजीटीएमएसई ने वित्तीय वर्ष 2010–11 में दो नए मुकाम हासिल किए। एक तो इसने वर्ष के दौरान 2.50 लाख गारंटी अनुमोदन प्रदान किए और दूसरे 31 मार्च, 2011 तक संचयी रूप से 5.5 लाख गारंटी अनुमोदन प्रदान किए। संचयी रूप से 31 मार्च, 2011 तक ₹ 23,846.01 करोड़ के लिए 5,51,740 गारंटी अनुमोदन प्रदान किए गए। इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कवर किए गए खातों की संख्या में 68% और गारंटीकृत राशि में 83% की वृद्धि हुई।

एमएसई क्षेत्र से उठनेवाली माँग को देखते हुए, सीजीटीएमएसई ने देश भर में ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए हैं। अल्प–सेवित क्षेत्रों जैसे जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने और कवरेज में वृद्धि करने पर विशेष बल दिया गया।

विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाने की दिशा में, सीजीटीएमएसई, एमएसई क्षेत्र को ऋण उपलब्धता में तेजी लाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आने वाले वर्षों में सीजीटीएमएसई सर्वांगीण विकास और नवोन्मेषन जारी रखेगा ताकि कोलैटरल–मुक्त ऋण आसानी से पहुँचे।

एमएसई क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में प्राप्त मूल्यवान एवं अनवरत सहयोग के लिए भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सिडबी का मैं आभारी हूँ। साथ ही, मैं सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं तथा सीजीटीएमएसई की भागीदार संस्थाओं को सीजीटीएमएसई के परिचालनों में लगातार सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सीजीटीएमएसई की टीम को उनकी समर्पित सेवा और प्रतिबद्धता के लिए साधुवाद देता हूँ, जिसके बिना कवरेज़ का यह स्तर प्राप्त करना संभव नहीं होता।

सादर,

ह. /–
(एस. मुहनोत)

मुंबई
28 सितंबर, 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

"वर्ष के दौरान सीजीटीएमएसई ने परिचालनों के दशक की सफल यात्रा पूरी की। इस दौरान उसने एमएसई क्षेत्र को संस्थागत ऋण की उपलब्धता सुलभ कराने में पैमाने और आकार, दोनों ही दृष्टियों से प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। पहले परिचालन–वर्ष में केवल 9 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से शुरुआत करनेवाले सीजीटीएमएसई की पंजीकृत ऋणदात्री संस्थाओं में आज 126 बैंक/वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं।"

मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

वर्ष के दौरान सीजीटीएमएसई ने परिचालनों के दशक की सफल यात्रा पूरी की। इस दौरान उसने एमएसई क्षेत्र को संस्थागत ऋण की उपलब्धता सुलभ कराने में पैमाने और आकार, दोनों ही दृष्टियों से प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। पहले परिचालन–वर्ष में केवल 9 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से शुरुआत करनेवाले सीजीटीएमएसई की पंजीकृत ऋणदात्री संस्थाओं में आज 126 बैंक/वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं।

वर्ष 2010–11 ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के लिए त्वरित संवृद्धि का वर्ष रहा। सीजीटीएमएसई ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं – किसी एक वित्तीय वर्ष में 2.50 लाख से अधिक गारंटी अनुमोदन और दूसरी, 31 मार्च, 2011 तक संचयी रूप से 5.5 लाख गारंटी अनुमोदन। प्रस्तावों की संख्या की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में 68% की और गारंटीकृत अनुमोदनों की राशि की दृष्टि से 83% की वृद्धि दर्ज की गई।

इन वर्षों में सीजीटीएमएसई ने कई परिवर्तन किए हैं जो एमएसई क्षेत्र की आवश्यकताओं और सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए हैं। इससे धन–वृद्धि और रोजगार सृजन के ज़रिए भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशी संवृद्धि हुई है। सीजीएस के अंतर्गत लगभग एक तिहाई संचयी गारंटी अनुमोदन महिलाओं/ अल्पसंख्यकों/ समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित हैं।

सीजीटीएमएसई ने एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि सभी हितधारकों जैसे बैंकों, उद्योग संघों, उद्यमियों आदि के मध्य जागरूकता पैदा की जा सके। इन प्रयासों से आनेवाले वर्षों में भी ऋण गारंटी योजना के अधीन कवरेज़ में वृद्धि और विस्तार को बल मिलेगा।

वर्ष के दौरान, सीजीटीएमएसई ने मुंबई में 01 से 06 अगस्त, 2010 के दौरान एशियन क्रेडिट सप्लिमेंटेशन इंस्टीट्यूशन्स कन्फेडरेशन (ऐक्सिक) का 20वाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 10 देशों के 13 ऋण गारंटी संगठनों से आए 33 अधिकारियों ने सक्रिय प्रतिभागिता की और अपने–अपने संगठन की ऋण गारंटी प्रणाली के संबंध में विचारों का परस्पर आदान–प्रदान किया। अब सीजीटीएमएसई गोवा में 31 अक्तूबर, 2011 से 04 नवंबर, 2011 के दौरान होनेवाले एशियन क्रेडिट सप्लिमेंटेशन इंस्टीट्यूशन्स कन्फेडरेशन (ऐक्सिक) के 24 वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

सीजीटीएमएसई को विश्वास है कि वह एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सिडबी, विश्व बैंक, जीटीजेड, हमारी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों की सक्रिय सहायता और सहयोग से एमएसई क्षेत्र को विकास और समृद्धि के नए क्षितिज तक ले जाने की दिशा में और अधिक योगदान कर पाएगा।

सादर,

ह. /–

(यू. आर. टाटा)

मुम्बई

28 सितंबर, 2011

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल

यथा 28 सितंबर, 2011

श्री एस. मुहनोत, अध्यक्ष (पदेन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,

प्रधान कार्यालयः 'सिडबी टावर', 15 अशोक मार्ग, लखनऊ 226 001

श्री अमरेन्द्र सिन्हा, उपाध्यक्ष (पदेन)

संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई),

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार,

ए विंग, 7वाँ तल, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली 110 011

श्री एम.डी. माल्या, सदस्य (पदेन)

अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ एवं,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी 26, जी ब्लॉक,

बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

श्री यू. आर. टाटा, सदस्य–सचिव (पदेन)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट,

7वाँ तल, एमएसएमई विकास केन्द्र, सी–11, जी ब्लॉक,

बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (सितंबर 2011) के अनुसार, 2010 के दौरान वैश्विक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई, जबकि 2009 में –0.7% की गिरावट आई थी। उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए की गई मौद्रिक सख्ती के प्रत्युतर में कुछ नरमी के बावजूद आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत समुत्थानशील रही। आशा की जाती है कि 2011 में वैश्विक उत्पादन में 4.0% की वृद्धि होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से जोरदार बेहतरी दर्शाई है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2009 में घटकर 6.8% हो गई थी। इसमें तेजी से सुधार आया और इसने 2010 में 8% तथा 2011 में 8.6% की उच्चतर वृद्धि दर्ज की। तथापि वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि 7.8% रही, जो एक वर्ष पहले उसी अवधि के दौरान रही 10.5% से निम्नतर थी। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 8.1% (11.0%) की वृद्धि हुई। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, मूलभूत माल, पूँजीगत माल और अर्ध निर्मित माल में वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान क्रमश: 6.3%, 9.3% तथा 8.8% की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2009–10 में इनमें क्रमश: 7.2%, 20.9% तथा 13.6% की वृद्धि हुई थी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 300 लाख इकाइयों के जरिए लगभग 700 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करता है, 6000 से अधिक उत्पादों का विनिर्माण करता है, विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% और निर्यातों में लगभग 40% का योगदान करता है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण में वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 21.8% वृद्धि हुई और यह मार्च 2011 की समाप्ति पर ₹ 4,54,995 करोड़ हो गया, जबकि मार्च 2010 की समाप्ति पर यह ₹ 3,73,530 करोड़ था।

बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए आँकड़ों से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र पर बकाया ऋण में वित्तीय वर्ष 2010–11 में 11% की निम्नतर वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 2009 में 22.1%) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र पर कुल बकाया ऋण में इसका हिस्सा भी घटकर 50% रह गया (मार्च 2010 की समाप्ति पर 55%)। इसी अवधि में सेवा पर ऋण में वृद्धि तथा कुल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण में सेवा क्षेत्र के हिस्से में सुधार हुआ और वे क्रमश: 35.2% (वित्तीय वर्ष 2009 में 19.2%) तथा 50% (मार्च 2010 की समाप्ति पर 45%) रहे।

नीतिगत परिवेश

दुनिया उत्तरोत्तर अधिक वैश्वीकृत होती जा रही है, प्रतिस्पर्द्धा और नवोन्मेष बढ़ रहे हैं, नवतर तथा विविध चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। ऐसे परिवेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के उद्देश्य से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के उद्देश्य से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई अतिसक्रिय कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित है :

केंद्रीय बजट 2011 – 12

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं :

- सिडबी को वर्ष 2011–12 हेतु ₹ 5000 करोड़ प्रदान किए जाएंगे, जिससे बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए जाने वाले वृद्धिशील ऋणों के संबंध में पुनर्वित दिया जाएगा। उक्त राशि बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति में रह गई कमी के फलस्वरूप जमा की गई राशि में दी जाएगी।

- वर्ष के दौरान सिडबी के पास ₹ 100 करोड़ की ''भारत अल्प वित्त ईक्विटी निधि'' सृजित करना। इससे लघुत्तर अल्प वित्त संस्थाओं को ईक्विटी प्रदान की जाएगी, जो वृद्धि को बनाए रखने तथा परिचालनों को बड़े पैमाने पर चलाने एवं उनमें दक्षता हासिल करने में उनकी मदद करेगी।

- महिलाओं का सशक्तीकरण और उनके स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना, ₹ 500 करोड़ सूमह निधि की ''महिला स्वसहायता समूह विकास निधि'' बनाना।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देशित करना कि वे अल्पसंख्यक समुदायों को बकाया ऋण के रूप में 15% का लक्ष्य शीघ्रतिशीघ्र हासिल करें।

- सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा लगभग 16% से बढ़ाकर 10 वर्ष की अवधि में 25% करना।

- अनुसंधान और विकास के औपचारिक ढाँचे से इतर प्रयास करना, एक राष्ट्रीय नवोन्मेष परिषद गठित की गई है, जो भारत में नवोन्मेषों हेतु कार्ययोजना तैयार करेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था

- राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद 15 करोड़ कुशल मानवशक्ति तैयार करने का अधिदेश निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से दो वर्ष पहले ही हासिल करने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को अगले वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान करना।

- 2000 से अधिक की आबादी वाले सभी 73,000 रिहायशी केंद्रों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य 2011–12 के दौरान पूरा किया जाएगा।

- घरेलू कंपनियों पर 7.5% के वर्तमान अधिभार को घटाकर 5% करना और साथ ही साथ न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को बही लाभ के 18% से बढ़ाकर 18.5% करना, ताकि मैट की प्रभावी दर उसी स्तर पर रहे।

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक और ऋण नीति

आपूर्ति पक्ष की मुद्रास्फीति के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करने के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने, लगातार बनी हुई वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति में, अर्थव्यवस्था में बेहतरी की प्रक्रिया को घोषित करने के लिए एक मौद्रिक रूख अपनाया है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित थे :

- सितंबर 2011 में तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर को बढ़ाकर 8.25% तथा 9.25% किया गया।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी उच्च स्तरीय कार्यदल की सिफारिशों में परिककल्पित लक्ष्यों (यथा वर्ष 2010–11 में 50%, वर्ष 2011–12 में 55% और वर्ष 2012–13 में 60% और सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण में 20% की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि हासिल करने का अधिदेश) की बैंकों द्वारा प्राप्ति संबंधी स्थिति को दर्शाने तथा उसकी निगरानी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक उपयुक्त प्ररूप तैयार किया है और उनकी सर्वोच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। जो बैंक लक्ष्य प्राप्त करने में पीछे हैं, उन्हें यह अधिदेश दिया गया है कि वे विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें।

- अल्प वित्त संस्था क्षेत्र के मुद्दों और सरोकारों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप–समिति (अध्यक्ष –श्री वाई. एच. मालेगाम) गठित की गई। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2011 में प्रस्तुत की।

- गैर निष्पादक अग्रिमों तथा पुनर्संरचित अग्रिमों की कतिपय श्रेणियों की प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं में निम्नवत वृद्धि :

  ✧ ''अब मानक'' के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर 15% का प्रावधान करना होगा, जबकि वर्तमान में यह 10% है (अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत ''अप्रतिभूत एक्सपोज़र'' पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, अर्थात कुल 25% का प्रावधान करना होगा, जबकि वर्तमान में यह 20% है)

  ✧ अग्रिमों का जो प्रतिभूत भाग एक वर्ष तक ''संदिग्ध'' श्रेणी में रहा है, उस पर 25% का प्रावधान करना होगा (जबकि वर्तमान में यह 20% है)

  ✧ अग्रिमों का जो प्रतिभूत भाग एक वर्ष से अधिक समय में किंतु तीन वर्ष तक ''संदिग्ध'' श्रेणी में रहा है, उस पर 40% प्रावधान करना होगा (जबकि वर्तमान में यह 30% है)

  ✧ मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचिंत खातों पर पुनर्संरचना की तिथि से प्रथम 2 वर्ष तक, अथवा पुनर्संरचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान पर ऋण स्थगन अवधि के मामले में ऋण स्थगन अवधि और तत्पश्चात 2 वर्ष की अवधि तक 2% का प्रावधान करना होगा (जबकि वर्तमान में अग्रिमों की श्रेणी के अनुसार 0.25–1.00% का प्रावधान किया जाता है)

  ✧ गैर–निष्पादक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों को जब मानक वर्ग में उच्चीकृत किया जाएगा, तो उनके संबंध में उच्चीकरण की तिथि से प्रथम वर्ष में 2% का प्रावधान करना होगा (जबकि वर्तमान में अग्रिमों की श्रेणी के अनुसार 0.25–1.00% का प्रावधान किया जाता है)।

आर्थिक दृष्टिकोण

आईएमएफ वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, सितंबर 2011 के अनुसार, 2011के उत्तरार्ध में वैश्विक उत्पादन की गति तेज होने की संभावना है और आशा है कि 2011 तथा 2012 में इसमें चार–चार प्रतिशत की वृद्धि होगी। आशा है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर धीरे–धीरे लगभग 2 प्रतिशत पर लौट आएगी। उभरती हुई एशिया, विशेषत: चीन तथा भारत में वृद्धि दर बहुत ऊँची बनी रहने की संभावना है और उसके बाद उप–सहारा अफ्रीका का स्थान होगा। भारत के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर

2011 में अपनी मध्य तिमाही समीक्षा के दौरान यह अनुमान किया है कि वित्तीय वर्ष 2012 में वृद्धि दर 7.7% रहेगी । इसकी मुख्य वजहें होगी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की रफ्तार में कमी और उसके फलस्वरूप वैश्विक माँग और साथ ही घरेलू मांग में कमी और उद्योग तथा सेवाओं की वृद्धि दर में गिरावट। तथापि, मध्यम से दीर्घावधि में वृद्धि संभावनाएं मजूबत और टिकाऊ दिखती हैं। योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2013–17) के लिए 9% वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को तीव्रतर टिकाऊ तथा समावेशी बनाएगा, जैसा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में उल्लिखित है।

सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से उच्चतर रही है। आशा की जाती है कि यह क्षेत्र उर्ध्वगामी वृद्धि पथ पर अग्रसर रहेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संबंध में प्रधान मंत्री कार्य दल की सिफारिशों के समयबद्ध कार्यान्वयन, विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण को बैंकों द्वारा वार्षिक रूप से 20% बढ़ाए जाने, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2011 –12 तक 55% और वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 60% निर्धारित किए जाने और सूक्ष्म उद्यम ऋण खातों में 10% वार्षिक वृद्धि हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों से बल मिला है।

सीजीटीएमएसई की रिपोर्ट

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कामकाज की रिपोर्ट

भूमिका

1. सीजीटीएमएसई की समूह निधि

1.1 ट्रस्ट की समूह निधि में भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। ट्रस्ट की प्रतिबद्ध समूह निधि ₹ 2500 करोड़ है, जिसका अंशदान भारत सरकार (₹ 2000 करोड़) तथा सिडबी (₹ 500 करोड़) द्वारा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान ट्रस्ट को समूह निधि के प्रति ₹ 250.00 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें भारत सरकार ने ₹ 200.00 करोड़ और सिडबी ने ₹ 50.00 करोड़ का अंशदान किया और इस प्रकार भारत सरकार और सिडबी का अलग–अलग कुल अंशदान क्रमश: ₹ 1725.25 करोड़ तथा ₹ 431.31 करोड़ हो गया। यथा 31 मार्च, 2011 को ट्रस्ट की कुल समूह निधि ₹ 2156.56 करोड़ थी, जो कि प्रतिबद्ध समूह निधि का 86.26% है। समूह निधि में वर्षवार अंशदान का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

समूह निधि में अंशदान (₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार	सिडबी	योग
2001	100.00	25.00	125.00
2002	100.00	25.00	125.00
2003	141.62	35.40	177.02
2004	192.00	51.84	243.84
2005	211.63	49.07	260.70
2006	200.00	50.00	250.00
2007	124.00	33.00	157.00
2008	198.00	47.50	245.50
2009	122.10	34.00	156.10
2010	135.91	30.50	166.41
2011	200.00	50.00	250.00
योग	**1725.25**	**431.31**	**2156.56**

1.2 भारत सरकार और सिडबी से कुल ₹ 343.44 करोड़ का अंशदान प्राप्त किया जाना शेष है और आशा है कि यह अगले वर्ष में प्राप्त हो जाएगा। गारंटी अनुमोदनों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए यह अनुभव किया जाता है कि समूह निधि में यथासमय उपयुक्त वृद्धि करनी होगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

सीजीटीएमएसई समूह फंड

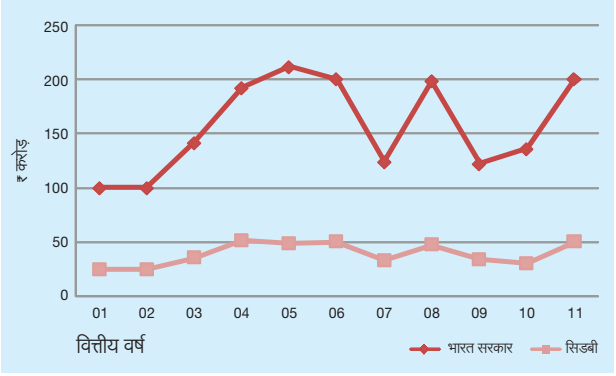

2. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

2.1 वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान 17 नई सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं ने ट्रस्ट में पंजीकरण कराया और इस प्रकार यथा 31 मार्च, 2011 को पात्र ऋणदात्री संस्थाओं की कुल संख्या 126 हो गई (अनुबंध–I)। वर्तमान में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 19 निजी क्षेत्र के बैंक, 4 विदेशी बैंक, 67 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 9 अन्य वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। जो 17 नई संस्थाएं जुड़ी हैं, उनमें से 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं – उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, सतपुरा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक, बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बन्गिया ग्रामीण विकास बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शारदा ग्रामीण बैंक और सर्गुइया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 3 अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं – जम्मू कश्मीर विकास वित्त निगम लि., आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम और भारतीय निर्यात आयात बैंक, 3 निजी क्षेत्र के बैंक हैं – दि करूर वैश्य बैंक, डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक तथा लक्ष्मी विलास बैंक तथा 2 विदेशी बैंक हैं – बारक्लेज़ बैंक पीएलसी तथा बैंक ऑफ़ बहरीन ऐंड कुवैत। ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ट्रस्ट और अधिक वित्तीय संस्थाओं का समावेश कर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की सूची को और अधिक व्यापक बनाने की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा है।

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

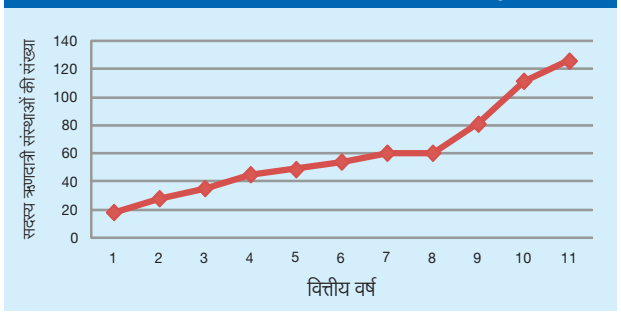

वर्ष के दौरान, कुछ सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं अन्य बैंकों / सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं में विलय के कारण अस्तित्व में नहीं रह गई हैं । बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का परस्पर विलय होकर अब बलिया इटावा ग्रामीण बैंक बन गया है और लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय होकर इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में हो गया है।

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं का संघटन

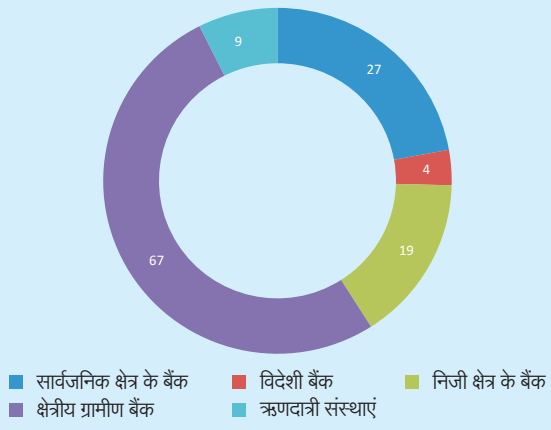

3. ऋण गारंटी योजना में संशोधन

ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल ने अनेक अनुशसाएँ की हैं, जो संस्थापकों के विचाराधीन हैं। अनुशंसाओं की स्वीकृति होने पर ऋण गारंटी योजना में प्रणालीगत परिवर्तन किए जाएँगे।

4. ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत परिचालन

4.1 31 मार्च 2011 की समाप्ति पर 106 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं गारंटी कवर प्राप्त कर रही थीं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 85 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं ने गारंटी कवर प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान और यथा 31 मार्च, 2011 को संचयी रूप से सदस्य ऋणदात्री संस्थावार गारंटी अनुमोदनों का विवरण अनुबंध–II में दिया गया है।

4.2 ट्रस्ट की स्थापना से 31 मार्च, 2011 तक वर्षवार गारंटी अनुमोदनों का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या	अनुमोदित ऋण सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (₹ करोड़)	संचयी रूप से अनुमोदित गारंटियां (₹ करोड़)	औसत आकार (₹ लाख)
2001	9	951	6.06	6.06	0.63
2002	16	2296	29.52	35.58	1.28
2003	22	4955	58.67	94.25	1.18
2004	29	6603	117.60	211.85	1.78
2005	32	8451	267.46	538.62	3.16
2006	36	16284	461.91	1000.53	2.83
2007	40	27457	704.53	1705.06	2.56
2008	47	30285	1055.84	2701.59	3.48
2009	57	53708	2199.40	4824.34	4.09
2010	85	151387	6875.11	11,559.61	4.54
2011	106	254000	12589.22	23846.01	4.95
संचयी		**551740***		**23846.01**	**4.32**

*मध्यवर्ती निरसन/संशोधन के कारण वास्तविक आँकड़े बदल सकते हैं।

सीजीटीएमएसई की रिपोर्ट

अनुमोदनों की संख्या (संचयी)

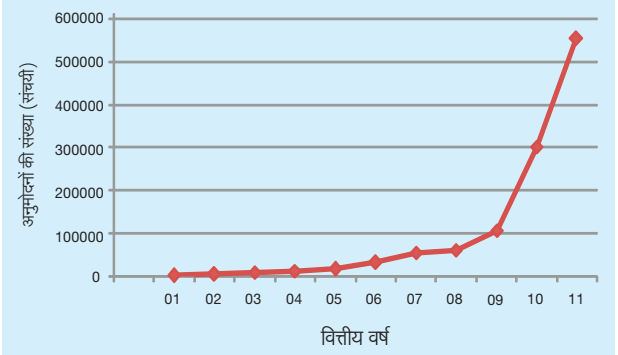

4.3 सीजीटीएमएसई ने वित्तीय वर्ष 2010–11 में दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं अर्थात् एक अकेले वित्तीय वर्ष में 2.50 लाख गारंटी अनुमोदन और 31 मार्च, 2011 को संचयी रूप में 5.5 लाख गारंटी अनुमोदन। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवरेज में निरंतर वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2000–01 में 9 सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं थी। वित्तीय वर्ष 2011 में यह संख्या 106 तक पहुँच गई है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 2,50,000 गारंटी अनुमोदन के लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान गारंटी अनुमोदनों की संख्या 2,54,000 हो गई है और इसकी कुल राशि ₹12589.22 करोड़ रही। पिछले वर्ष की तुलना में कवर किए गए खातों की संख्या की दृष्टि से यह वृद्धि 68% थी, जबकि गारंटीकृत राशि की दृष्टि से यह 83% थी। संचयी रूप से यथा 31 मार्च, 2011 को 5,51,740 खातों को ₹ 23,846.01 करोड़ हेतु गारंटी अनुमोदन प्रदान किया गया। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किए गए खातों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि से यह पता चलता है कि योजना को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं एवं देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में अब अधिक स्वीकृति मिल रही है।

सदस्य ऋणदात्री संस्थावार कवरेज

4.4 वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान, अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या की दृष्टि से जो पांच सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं सबसे ऊपर थीं, वे हैं भारतीय स्टेट बैंक (₹2,170.34 करोड़ के 50,344 प्रस्ताव), बैंक ऑफ इंडिया

सदस्य ऋणदात्री संस्थावार अनुमोदन (संख्या) (संचयी)

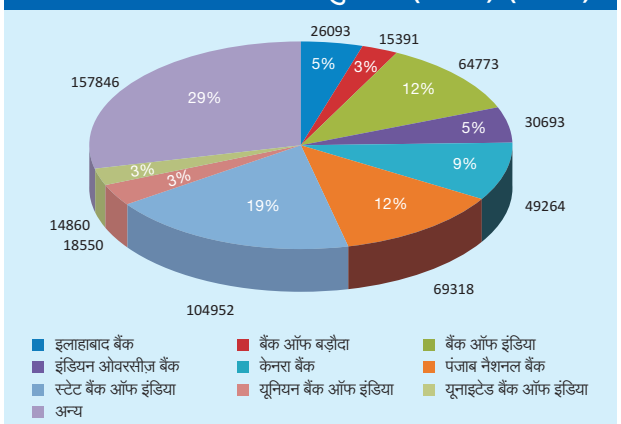

(₹1,802.47 करोड़ के 28,280 प्रस्ताव), पंजाब नैशनल बैंक (₹1,438.86 करोड़ के 26,210 प्रस्ताव), इंडियन ओवरसीज़

अनुमोदनों की राशियाँ (संचयी)

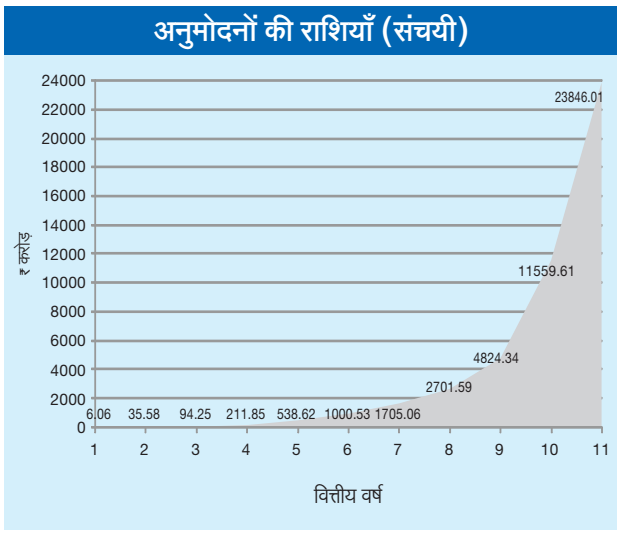

सदस्य ऋणदात्री संस्थावार अनुमोदन (राशियाँ ₹ करोड़) (संचयी)

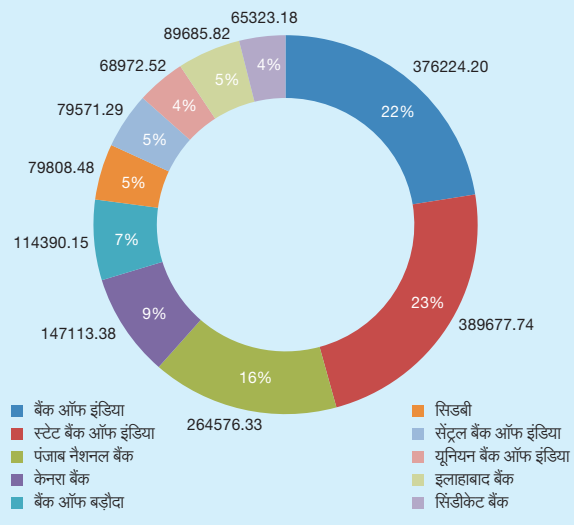

श्री. यू. आर. टाटा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीजीटीएमएसई, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित कैम्प, कामरूप, असम में दर्शकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. सुधीर गोकरन, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी ।

पहले स्थान पर रहा। इसके बाद तमिलनाडु (₹ 980.15 करोड़ हेतु 25,755 प्रस्ताव), पश्चिम बंगाल (₹ 965.29 करोड़ हेतु 25,302 प्रस्ताव), केरल (₹ 557.30 करोड़ हेतु 20,296 प्रस्ताव) तथा कर्नाटक (₹ 943.03 करोड़ हेतु 19,779 प्रस्ताव) का स्थान रहा।

4.7 संचयी रूप से, 31 मार्च, 2011 तक सर्वाधिक कवरेज उत्तर प्रदेश (₹ 2,554.37 करोड़ हेतु 80,570 प्रस्ताव) में रहा। उसके बाद पश्चिम बंगाल (₹ 2002.17 करोड़ हेतु 55,113 प्रस्ताव), केरल (₹1,196.32 करोड़ हेतु 53,148 प्रस्ताव), तमिलनाडु

राज्यवार अनुमोदन (संख्या) संचयी)

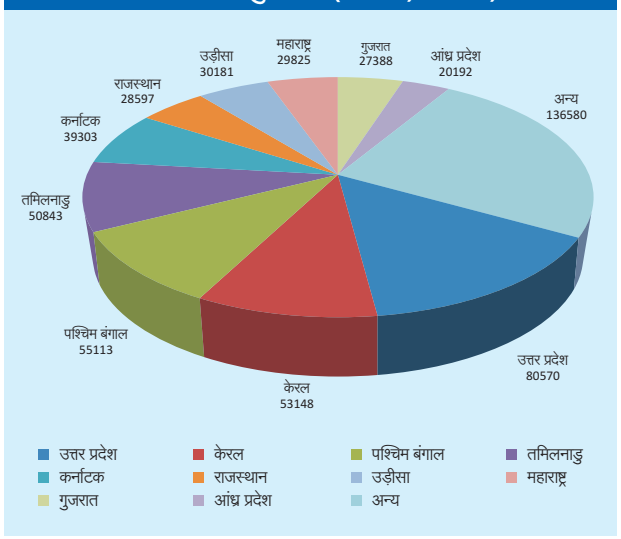

(₹1,956.92 करोड़ हेतु 50,843 प्रस्ताव) और कर्नाटक (₹1,985.05 करोड़ हेतु 39,303 प्रस्ताव) का स्थान है।

उद्योगवार कवरेज

4.8 यथा 31 मार्च, 2011 को ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत उद्योगवार कवरेज के आँकड़े अनुबंध IV में दिए गए हैं। इन आकंड़ों से स्पष्ट है कि

राज्यवार अनुमोदन (राशियाँ ₹ करोड़) (संचयी)

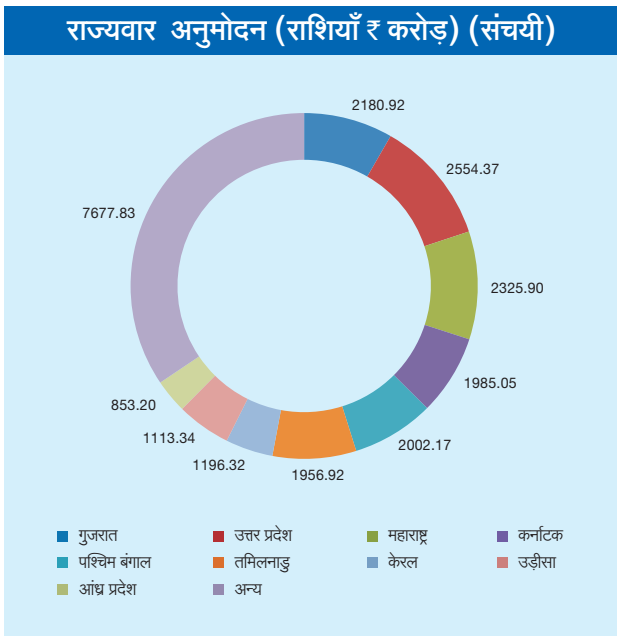

लगभग 71% गारंटियाँ 'अन्य विनिर्माण' श्रेणी में रखी गई इकाइयों (₹15922.79 करोड़ हेतु 3,92,683 प्रस्ताव) से संबंधित हैं। उसके बाद सेवा (उद्योग संबंधी) (₹ 2,056.68 करोड़ हेतु 54,904 प्रस्ताव), खाद्य उत्पाद (₹1023.75 करोड़ हेतु 20,917 प्रस्ताव), धातु उत्पाद (₹ 921.48 करोड़ हेतु 20,206 प्रस्ताव) तथा वस्त्र उत्पाद (₹ 1242.00 करोड़ हेतु 19,665 प्रस्ताव) का स्थान है।

स्तरवार कवरेज

4.9 यथा 31 मार्च, 2011 को ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत चरणवार कवरेज के आंकड़े अनुबंध V में दिये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान मंजूर हुए अधिकांश प्रस्ताव छोटे ऋणों से संबंधित थे। ₹ 3,403.39 करोड़ हेतु 2,01,755 प्रस्ताव ₹ 5 लाख तक के ऋणों से संबंधित थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2011 में अनुमोदित कुल गारंटियों का 79.43% है। इस स्तर के भीतर सर्वाधिक वृद्धि ₹ 1,00,001 से ₹ 2 लाख तक के ऋणों से संबंधित थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2010 की तुलना में 139% रही। वित्तीय वर्ष 2011 में ₹12,589.22 करोड़ हेतु 2,54,000 प्रस्ताव अनुमोदित हुए, जिनमें से 80,596 प्रस्ताव (31.7%) ₹1 लाख तक के ऋण घटक वाले, 62,465 प्रस्ताव (24.6%) ₹ 1,00,001 से ₹ 2 लाख तक के ऋण घटक वाले, 58,694 प्रस्ताव (23.1 %) ₹ 2,00,001 से ₹ 5 लाख तक के ऋण घटक वाले, 24,069 प्रस्ताव (9.5%) ₹ 5,00,001 से ₹ 10 लाख तक के ऋण घटक वाले, 20,288 प्रस्ताव (8%) ₹ 10,00,001 से ₹ 25 लाख तक के ऋण घटक वाले, 5,448

सीजीटीएमएसई की रिपोर्ट

स्तरवार कवरेज (संचयी)

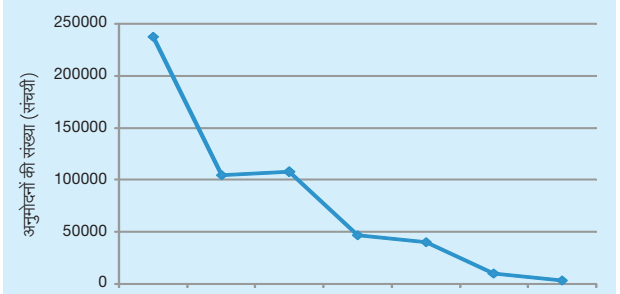

प्रस्ताव (2.1%) ₹ 25,00,001 से ₹ 50 लाख तक के ऋण घटक वाले और 2,440 प्रस्ताव (1%) ₹ 50 लाख से अधिक तथा ₹100 लाख तक के ऋण घटक वाले वर्ग के थे।

कवर किए गए ऋणों का औसत आकार

4.10 यदि उक्त योजना के अंतर्गत आरंभ से ही ऋणों के औसत आकार में वर्षवार वृद्धि देखी जाए, तो यह वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाएगा। ऋणों का औसत आकार वित्तीय वर्ष 2001 में ₹ 0.63 लाख था और वित्तीय वर्ष 2010 में यह ₹ 4.54 लाख और वित्तीय वर्ष 2011 में यह ₹4.95 लाख हो गया, जबकि समग्र औसत ₹ 4.32 लाख है।

दावा निपटान

4.11 वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान, ₹ 5,996.19 लाख हेतु 2,718 दावों का निपटान किया गया, जिससे 31 मार्च, 2011 तक निपटाए गए दावों की संचयी संख्या 5,236 हो गई, जो ₹11,217.92 लाख हेतु थे। प्रक्रिया सुधार के एक भाग के रूप में, दावा निपटान प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया और कार्रवाई में लगने वाले समय में और सुधार किया गया।

4.12 यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च, 2011 को संचयी रूप से निपटाए गए कुल 5236 दावों में से लगभग 66% (3,471 दावे) 5 बैंकों से संबंधित हैं। विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

₹ लाख

क्रम सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ	सं.	राशि	कुल का प्रतिशत	
				सं.	राशि
1	केनरा बैंक	1354	1631.52	25.85	14.54
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	737	758.96	14.07	6.76
3.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	597	1422.69	11.40	12.68
4.	बैंक ऑफ इंडिया	408	1160.22	7.79	10.34
5.	पंजाब नैशनल बैंक	375	661.07	7.16	5.89
	उप – जोड़	**3471**	**5634.46**	**66.27**	**50.21**
	अखिल भारतीय योग	**5236**	**11217.92**		

4.13 यथा 31 मार्च 2011 को निपटाए गए दावों की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य नीचे दिए गए हैं:

₹ लाख

क्रम सं.	राज्य	सं.	राशि	कुल निपटाए गए दावों का कितने प्रतिशत	
				सं.	राशि
1.	केरल	1385	1439.83	26.45	12.83
2.	पश्चिम बंगाल	693	2064.92	13.23	18.40
3.	तमिलनाडु	640	1796.97	12.22	16.01
4.	कर्नाटक	447	1379.46	8.53	12.29
5.	उत्तर प्रदेश	433	648.70	8.26	5.78
	उप– जोड़	**3598**	**7329.88**	**68.69**	**65.31**
	अखिल भारतीय योग	**5236**	**11217.92**		

उक्त तालिका से द्रष्टव्य है कि दावों की संख्या का लगभग 69% तथा निपटान की राशि का लगभग 65% 5 राज्यों से संबंधित है।

श्री. यू. आर. टाटा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीजीटीएमएसई 23वें एसीएसआईसी सम्मेलन, सिबु, फिलीपींस में प्रशंसा पत्र प्राप्त करते हुए ।

5. जोखिम भागीदारी सुविधा

जोखिम भागीदारी सुविधा ₹ 25 करोड़ की समूह निधि से सुकर बनाई गई थी। यह निधि विश्व बैंक द्वारा सिडबी को प्रदत्त ऋण–व्यवस्था में से सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिए गए ₹ 50 लाख से अधिक और ₹ 100 लाख तक के गारंटी रहित संपार्श्विक ऋणों हेतु प्रायोगिक परियोजना थी, जबकि उस समय प्रचलित गारंटी की उच्चतम सीमा ₹ 50 लाख प्रति उधारकर्ता थी। इस जोखिम भागीदारी सुविधा के अंतर्गत, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को प्रदत्त ₹ 50 लाख और ₹ 100 लाख के बीच के संपार्श्विक रहित ऋण को 50% तक गारंटी सहायता प्रदान की जाती थी, बशर्ते वे कतिपय शर्तों को पूरा करें। इस समूह निधि का 1.90 गुणा लाभ उठाते हुए 64 प्रस्तावों को ₹ 47.54 करोड़ गारंटी प्रदान की गई । दिसंबर 2008 में ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटी की उच्चतम सीमा ₹ 100 लाख कर दिए जाने के साथ ही दिसंबर 2008 से आगे जोखिम भागीदारी सुविधा को जारी नहीं रखा गया। प्रायोगिक आधार पर जोखिम भागीदारी योजना–II कार्यान्वित करने के लिए चर्चा जारी है।

6. विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से अग्रिम निधियाँ

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को प्रदत्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क की पूर्ति हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने अप्रैल 2009 में ₹ 2.80 करोड़ की अग्रिम निधियाँ सीजीटीएमएसई को दी हैं। विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) ने इसी प्रयोजन से अगले तीन वर्ष तक ₹ 3 करोड़ प्रति वर्ष देने की वचनबद्धता की है। 31 मार्च, 2011 को सीजीटीएमएसई ने उसे दी गई ₹ 2.80 करोड़ की अग्रिम निधि में से ₹ 1.14 करोड़ का उपयोग किया है। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 तक संचयी रूप से 21,423 प्रस्ताव कवर किए गए हैं । विकास आयुक्त (हथकरघा) ने हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों का गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा प्रभार का व्यय पूरा करने के लिए अग्रिम निधियाँ देने के लिए हमसे संपर्क किया है। ट्रस्ट विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ की गई व्यवस्था के समान विकास आयुक्त (हथकरघा) के साथ भी व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि इससे ऐसे ऋणों को कवर करना सुकर होगा।

7. व्यवसाय विकास प्रयास

सीजीटीएमएसई ने बैंकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र, आदि में ऋण गारंटी योजना के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट एवं प्रेस मीडिया, कार्यशालाओं /सेमिनार के आयोजन, ज़िला /राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने पूरे देश में ऋण गारंटी योजना के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं एवं उद्योग संघों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों /कार्यशालाओं में, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के संबंध में भा.रि.बैंक /सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और बैठकों में सहभागिता की। अल्प–सेवी क्षेत्रों, जैसे जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने और कवरेज़ बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया गया। सीजीटीएमएसई के अधिकारियों ने अपनी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के साथ व्यवसाय विकास बैठकें भी आयोजित कीं। पूरे देश में वर्ष भर निरंतर प्रिंट मीडिया अभियान चलाए गए, ताकि योजना के बारे में अधिक जानकारी फैलाई जा सके और जागरूकता पैदा की जा सके। विभिन्न हितधारकों में सूचना प्रसार–प्रसार अभियान बड़े पैमाने पर चलाए गए।

01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 की अवधि में, सीजीटीएमएसई ने 726 सेमिनारों / कार्यशालाओं / बैकरों की बैठकों /व्यवसाय विकास बैठकों में सहभागिता की और साथ ही, ऋण गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं के प्रति बैंक अधिकारियों /लघु उद्यमों को सुग्राह्य बनाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिए । ये कार्यशालाएँ सामान्यत: सदस्य बैंकों /सिडबी / सीजीटीएमएसई / उद्योग संघों, आदि ने आयोजित कीं।

8. ऋण गारंटी योजना के परिचालनों का समग्र प्रभाव

सीजीटीएमएसई के परिचालनों का ऋण गारंटी–प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बिक्री, निर्यात और रोज़गार के संदर्भ में अर्थव्यवस्था पर हुए सकारात्मक प्रभाव का आकलन नीचे तालिका में दिया गया है:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाइयों / सुविधाओं की संख्या	551740
ऋण राशि (सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त) (₹ करोड़)	23846.01
गारंटीकृत इकाइयों का अपेक्षित कुल कारोबार (₹ करोड़)*	148314.37
गारंटीकृत इकाइयों द्वारा अपेक्षित निर्यात (₹ करोड़)*	3149.43
अपेक्षित रोजगार (लाख संख्या)*	32.13
सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या	126

*सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

सीजीटीएमएसई की रिपोर्ट

9. एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीजीटीएमएसई ने 01–06 अगस्त, 2010 को मुम्बई में 20वाँ एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन कॉनफेडरेशन (एसीएसआईसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 10 देशों के 13 क्रेडिट गारंटी संगठनों के कुल 33 अधिकारियों ने सहभागिता की। यह कार्यक्रम भारत में पहली बार आयोजित किया गया और इससे प्रतिभागियों को अपने–अपने देशों की ऋण गारंटी संबंधी कार्यप्रणाली के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करने तथा संबंधित संगठनों में चलाई जा रही ऋण गारंटी योजनाओं को बेहतर एवं प्रभावी बनाने के संबंध में कतिपय मुद्दों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने नवंबर, 2010 के दौरान सबू, फिलीपीन्स में आयोजित 23वें एसीएसआईसी सम्मेलन में सहभागिता की। 24वाँ एसीएसआईसी सम्मेलन नवंबर, 2011 में गोवा, भारत में आयोजित किया जाएगा।

सीजीटीएसएमई द्वारा आयोजित 20वीं एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

10. एडीएफ़आईएपी की सदस्यता

वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने एसोशिएशन ऑफ़ डेवलपमेन्ट फिनान्सिंग इन्स्टीट्यूशन्स इन एशिया ऐंड दि पैसिफिक की सदस्यता प्राप्त की, जो एशिया एवं पैसिफ़िक क्षेत्र में विकास संबंधी वित्तपोषण के कार्यों में संलग्न विकास बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का सबसे बड़ा एवं प्रतिष्ठित संघ है। यह अनुभव किया गया कि एडीएफ़आईएपी की सदस्यता से सीजीटीएमएसई को बहुत लाभ प्राप्त होगा।

11. लेखापरीक्षक

11.1 मै. रे एंड रे, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सीजीटीएमएसई का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। लेखापरीक्षकों ने समूचे कंप्यूटर सिस्टम की व्यापक समीक्षा और वित्तीय लेखापरीक्षा हाथ में ली है, जिसमें राजस्व व्यय, निवेश तथा राजस्व आय को कवर किया गया है।

11.2 जैसी कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सिफारिश की है, बोर्ड ने सनदी लेखाकारों की एक फर्म – मै. डी.सी. बोथरा एंड कं., मुंबई को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सीजीटीएमएसई का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

12. सीजीटीएमएसई को कर से छूट

तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2002 को प्रस्तुत और संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उप धारा 23 ईबी के अंतर्गत सीजीटीएमएसई की आय को वित्तीय वर्ष 2001–02 (निर्धारण वर्ष 2002–03) से 5 वर्ष की अवधि के लिए कर भुगतान से छूट दी गई। कर से छूट वित्तीय वर्ष 2005–06 में समाप्त हो गई और उसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। निर्धारण वर्ष 2008–09 से संबंधित पिछले वर्ष सीजीटीएमएई ने उक्त अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत छूट का दावा किया है, जिसके लिए ट्रस्ट ने मै. बंसी एस. मेहता एंड कं. की राय भी ली है। इस संबंध में ट्रस्ट ने अदा किए गए कर ₹113.45 करोड़ की वापसी हेतु आयकर विभाग को आवेदन किया है।

13. लेखा

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, ट्रस्ट ने ₹ 407.07 करोड़ की आय अर्जित की, जिसमें मुख्यतः गारंटी शुल्क (₹ 146.00 करोड़), वार्षिक सेवा शुल्क (₹ 39.96 करोड़), निवेशों पर अर्जित ब्याज (₹ 217.99 करोड़) शामिल हैं। ट्रस्ट का विभिन्न परिचालनगत तथा प्रशासनिक व्यय ₹ 5.72 करोड़ था, जिसमें मुख्यतः स्टाफ वेतन तथा भत्ते (₹1.31 करोड़), विज्ञापन और प्रचार व्यय (₹ 1.79 करोड़), कार्यालय परिसर का किराया (₹ 0.73 करोड़), वेब हॉस्टिंग, आईटी सेवाएं तथा कंप्यूटर हेतु अन्य संबंधित प्रभार तथा सॉफ्टवेयर व्यय (₹ 0.39 करोड़) तथा अन्य व्यय शामिल हैं। कर भुगतान के पश्चात व्यय से बेशी आय ₹ 235.37 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2009 से ट्रस्ट की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दावों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। बीमांकन रिपोर्ट के आधार पर, ₹ 399.16 करोड़ के अग्रानीत प्रावधान की तुलना में यथा 31 मार्च, 2011 को दावों हेतु ₹ 224.22 करोड़ का प्रावधान किया जाना है। तथापि, यह विवेकपूर्ण समझा गया है कि मौजूदा प्रावधान में बिना किसी कमी के उसे बनाए रखा जाए और इसलिए वर्ष के दौरान, अदा दावों के बराबर ₹ 60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

14. समूह निधि, निवेश और जारी की गईं गारंटियाँ

वर्ष के दौरान, ट्रस्ट को अपने संस्थापकों से ₹ 250.00 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ। इस राशि को, पूर्व में प्राप्त अंशदान तथा ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित निवल आय के साथ बैंकों/संस्थाओं की एफडी में निवेशित कर दिया गया। निधि की समूह निधि का आकार यथा 31 मार्च, 2011 को ₹ 2,156.56 करोड़

हो गया। यथा 31 मार्च, 2011 को कुल निवेश ₹ 3,123.26 करोड़ था, जबकि पिछली वर्ष की समाप्ति पर यह ₹ 2,620.87 करोड़ था। 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान ट्रस्ट द्वारा ₹ 10,906.88 करोड हेतु गारंटी कवर जारी किया, जिससे यथा 31 मार्च, 2011 तक जारी की गई संचयी गारंटियाँ ₹ 21,157.00 करोड़ हो गईं।

15. प्रबंध और संगठन

15.1 वित्तीय वर्ष 20010–11 के दौरान न्यासी मंडल में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष के रूप में, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार पदेन उपाध्यक्ष के रूप में, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में और सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य–सचिव के रूप में शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान न्यासी मंडल की 2 बैठकें हुईं। यथा 31 मार्च, 2011 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित आठ अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

15.2 सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं, जीटीजेड, विश्व बैंक, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा एमएसई उद्योग संघों से मिले सहयोग और सहकार के प्रति आभार व्यक्त करता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
मुम्बई
28 सितंबर, 2011

न्यासी मंडल के लिए और न्यासी मंडल की ओर से

ह. /–
(एस. मुहनोत)

अनुबंध I

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)	
यथा 31 मार्च, 2011 सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	
(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
1 इलाहाबाद बैंक	2 आंध्रा प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2 आंध्रा बैंक	3 आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
3 बैंक ऑफ बड़ौदा	4 आर्यावर्त ग्रामीण बैंक
4 बैंक ऑफ इंडिया	5 असम ग्रामीण विकास बैंक
5 बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	6 बैतरनी गाम्य विकास बैंक
6 केनरा बैंक	7 बलिया इटावा ग्रामीण बैंक
7 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8 बँगिया ग्रामीण विकास बैंक
8 कॉर्पोरेशन बैंक	9 बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
9 देना बैंक	10 बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
10 आईडीबीआई बैंक लि.	11 बिहार क्षत्रिय ग्रामीण बैंक
11 इंडियन बैंक	12 कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक
12 इंडियन ओवरसीज बैंक	13 चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
13 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14 छत्तिसगड़ ग्रामीण बैंक
14 पंजाब एंड सिंध बैंक	15 चिकमंगलूर–कोडगु ग्रामीण बैंक
15 पंजाब नैशनल बैंक	16 डेक्कन ग्रामीण बैंक
16 सिंडीकेट बैंक	17 देना गुजरात ग्रामीण बैंक
17 यूको बैंक	18 दुर्ग राजनांदगाँव ग्रामीण बैंक
18 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	19 गुड़गाँव ग्रामीण बैंक
19 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	20 हडोती क्षत्रीय बैंक
20 विजया बैंक	21 हरियाणा ग्रामीण बैंक
	22 हिमाचल ग्रामीण बैंक
(ii) भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक	23 जयपुर थार ग्रामीण बैंक
1 भारतीय स्टेट बैंक	24 झारखंड ग्रामीण बैंक
2 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर*	25 कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
3 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	26 काशी गोमती संयुत् ग्रामीण बैंक
4 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	27 कृष्णा ग्रामीण बैंक
5 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	28 लंगपी देहानगी रुरल बैंक
6 स्टेटबैंक ऑफ पटियाला	29 मध्य भारत ग्रामीण बैंक
7 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	30 मध्य बिहार ग्रामीण बैंक

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

यथा 31 मार्च, 2011 सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक		(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
(iii)	**निजी क्षेत्र के बैंक**	31	महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक
1	ऐक्सिस बैंक लि.	32	मालवा ग्रामीण बैंक
2	सिटी यूनियन बैंक	33	एमजीबी ग्रामीण बैंक
3	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड	34	मिझोराम रुरल बैंक
4	एचडीएफसी बैंक लि.	35	नैनीताल–अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5	आईसीआईसीआई बैंक	36	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
6	इंडस्इंड बैंक	37	निलाचल ग्राम्य बैंक
7	आईएनडी वैश्य बैंक लि.	38	नॉर्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
8	कर्नाटक बैंक लि.	39	पल्लवन ग्रामीण बैंक
9	कोटक महिन्द्रा बैंक	40	पंडयान ग्रामा बैंक
10	लक्ष्मी विलास बैंक	41	पर्वतीय ग्रामीण बैंक
11	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	42	प्रगति ग्रामीण बैंक
12	दि बैंक ऑफ राजस्थान लि.*	43	प्रथमा बैंक
13	द धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	44	पंजाब ग्रामीण बैंक
14	दि फेडरल बैंक लि.	45	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
15	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	46	राजस्थान ग्रामीण बैंक
16	दि करूर वैश्य बैंक लि.	47	रेवा सिद्धि ग्रामीण बैंक
17	दि नैनीताल बैंक लि.	48	ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
18	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	49	समस्तीपुर ग्रामीण बैंक
19	येस बैंक लिमिटेड	50	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
		51	सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक
(iv)	**विदेशी बैंक**	52	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1	बारक्लेज़ बैंक पीएलसी	53	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
2	बैंक ऑफ बहरीन एण्ड कुवैत	54	शारदा ग्रामीण बैंक
3	डय़ूश बैंक	55	श्रेयस ग्रामीण बैंक
4	स्टैण्डर्ड चार्टेड बैंक	56	साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक
		57	सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
		58	सतलज ग्रामीण बैंक (एसबीजी)
		59	त्रिपूरा ग्रामीण बैंक
		60	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

अनुबंध I

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

यथा 31 मार्च, 2011 सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

61 उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
62 उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
63 उत्तरबंगा क्षत्रीय ग्रामीण बैंक
64 विर्दभा क्षत्रीय ग्रामीण बैंक
65 विदीशा भोपाल क्षत्रीय ग्रामीण बैंक
66 विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक
67 वेनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक

(ग) ऋणदात्री संस्थाए

1 आँध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम
2 दिल्ली वित्त निगम
3 जम्मू एण्ड काश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड
4 केरला वित्त निगम
5 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
6 पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.
7 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
8 दि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.
9 भारतीय निर्यात आयात बैंक

*
1 स्टेट बैंक ऑफ इंदैार – अब भारतीय स्टेट बैंक में आमेलित
2 दि बैंक ऑफ राजस्थान लि. – अब आईसीआईसीआई बैंक में आमेलित

अनुबंध II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था–वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च, 2011 तक का संचयी

क्रमांक	सदस्य ऋणदात्री संस्था	वित्तीय वर्ष 2011		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	इलाहाबाद बैंक	12502	52969.20	26093	89685.82
2	इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	627	1597.74	771	2023.47
3	आंध्रा बैंक	1528	7929.88	2981	13746.43
4	आँध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	478	410.05	478	410.05
5	आँध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम	3	87.40	3	87.40
6	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	213	217.86	223	254.46
7	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	565	2470.96	895	3769.60
8	असम ग्रामीण विकास बैंक	1679	4148.27	1777	4613.75
9	ऐक्सिस बैंक लि.	229	10661.02	644	22751.80
10	बैतरनी ग्राम विकास बैंक	1248	4376.18	1288	4562.09
11	बँगीया ग्रामीण विकास बैंक	158	319.51	158	319.51
12	बैंक ऑफ बड़ौदा	6649	57809.60	15391	114390.15
13	बैंक ऑफ इंडिया	28280	180247.74	64773	376224.20
14	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	2214	15906.75	5495	31194.41
15	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	18	107.35	23	129.76
16	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	206	961.59	274	1204.76
17	केनरा बैंक	11972	55759.31	49264	147113.38
18	कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक	8	62.14	10	107.64
19	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6637	38673.91	13624	79571.29
20	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	7	9.42	28	49.28
21	छतीसगढ़ ग्रामीण बैंक	316	152.61	316	152.61
22	चिकमगलूर–कोडगु ग्रामीण बैंक	1	1.90	29	45.30
23	सिटी यूनियन बैंक	24	398.97	24	398.97
24	कॉर्पोरेशन बैंक	1804	11642.59	4722	29018.77
25	डेक्कन ग्रामीण बैंक	22	81.48	23	82.98
26	दिल्ली वित्त निगम	279	833.82	500	1072.87
27	देना बैंक	1259	12161.16	4550	23564.67

अनुबंध II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था–वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च, 2011 तक का संचयी

क्रमांक	सदस्य ऋणदात्री संस्था	वित्तीय वर्ष 2011		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
28	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	4	17.32	4	17.32
29	ड्यूश बैंक	0	0.00	17	383.50
30	दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक	327	536.11	1177	1473.86
31	गुड़गाँव ग्रामीण बैंक	24	65.47	33	92.03
32	हडोती क्षेत्रीय बैंक	2	1.50	3	3.00
33	हरियाणा ग्रामीण बैंक	122	277.05	163	359.39
34	एचडीएफसी बैंक लि.	765	19316.63	853	21372.13
35	हिमाचल ग्रामीण बैंक	232	1854.83	255	2131.91
36	आईसीआईसीआई बैंक	19	204.06	48	471.86
37	आईडीबीआई बैंक लि.	439	12882.50	1481	39927.12
38	इंडियन बैंक	1872	7576.49	6439	19963.34
39	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	22856	82010.72	30693	104977.72
40	इंडसइंड बैंक	0	0.00	4	60.88
41	आईएनडी वैश्व बैंक लि.	6	195.50	73	1734.03
42	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	397	122.84	785	205.42
43	झारखंड ग्रामीण बैंक	33	215.93	33	215.93
44	कर्नाटका ग्रामीण बैंक	1976	9648.94	1992	9709.87
45	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	3549	7320.54	5352	10657.29
46	काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	181	483.40	241	630.81
47	केरल वित्त निगम	13	299.75	13	299.75
48	कोटक महिन्द्रा बैंक	1	30.00	1	30.00
49	कृष्णा ग्रामीण विकास बैंक	39	32.44	42	36.46
50	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	127	268.49	127	268.49
51	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	0	0.00	14	12.90
52	एमजीबी ग्रामीण बैंक	29	50.29	50	80.81
53	मिजोरम ग्रामीण बैंक	87	315.90	87	315.90
54	नैनीताल–अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2	11.85	5	51.10

अनुबंध II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था–वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च, 2011 तक का संचयी

क्रमांक	सदस्य ऋणदात्री संस्था	वित्तीय वर्ष 2011		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
55	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	11	30.77	11	30.77
56	नेशनल स्मॉल इंड॰ कॉर्पो लि.	0	0.00	175	1453.66
57	नीलाँचल ग्राम्य बैंक	168	1044.26	168	1044.26
58	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	3	8.67	6	13.45
59	नॉर्थ मलाबार	87	161.67	116	218.63
60	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5179	50326.93	7902	73175.90
61	पांड्यन ग्रामा बैंक	213	221.28	213	221.28
62	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	97	479.28	102	507.04
63	प्रगति ग्रामीण बैंक	3	3.45	4	4.31
64	प्रथमा बैंक	1443	4357.98	2221	6706.55
65	पंजाब एंड सिंध बैंक	909	4412.46	2200	8358.02
66	पंजाब नैशनल बैंक	26210	143886.31	69318	264576.33
67	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	5624	8566.23	7973	11873.29
68	राजस्थान ग्रामीण बैंक	37	110.58	43	170.35
69	ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक	1	15.00	9	41.86
70	सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक	1228	1081.67	1368	1212.32
71	सौराष्ट्र गामीण बैंक	27	162.94	29	169.34
72	श्रेयस ग्रामीण बैंक	30	72.10	59	86.34
73	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	1327	30921.06	4257	79808.48
74	साउथ मलबार ग्रामीण बैंक	4252	5785.57	5735	7614.64
75	स्टैण्डर्ड चार्टेड बैंक	403	8650.98	403	8650.98
76	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2399	6087.70	10785	16496.81
77	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1189	5192.30	3409	14351.86
78	भारतीय स्टेट बैंक	50344	217034.90	104952	389677.74
79	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	568	1346.66	970	3667.13
80	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2297	13315.59	3806	22714.00
81	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1661	13648.67	2695	19433.57

अनुबंध II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था–वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च, 2011 तक का संचयी

क्रमांक	सदस्य ऋणदात्री संस्था	वित्तीय वर्ष 2011		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
82	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0	0.00	30	92.02
83	स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर	4464	17160.42	10350	31556.49
84	सतलज ग्रामीण बैंक	10	2.75	10	2.75
85	सिंडीकेट बैंक लि.	6361	30961.42	12972	65323.18
86	तमिलनाड मर्केंटाइल लि.	41	453.70	160	701.74
87	दि बैंक ऑफ राजस्थान लि.	84	27.30	611	158.57
88	द धनलक्ष्मी बैंक लि.	6	235.35	6	235.31
89	दि फेडरल बैंक लि.	772	4971.57	2666	13382.58
90	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	131	316.03	1081	835.93
91	दि करूर वैश्य बैंक लि.	4	80.34	4	80.34
92	दि नैनीताल बैंक लि.	11	223.15	57	745.28
93	द साउथ इंडियन बैंक लि.	4	5.40	10	15.47
94	द तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि.	1866	3335.49	1866	3335.49
95	त्रिपूरा ग्रामीण बैंक	114	259.36	157	542.81
96	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	4	45.35
97	यूको बैंक	5109	12454.72	11648	30127.49
98	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8241	31917.44	18550	68972.52
99	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	7237	26180.24	14860	55482.97
100	उत्तराचंल ग्रामीण बैंक	180	759.53	456	2171.00
101	उत्तरबंगा क्षत्रीय ग्रामीण बैंक	386	466.87	461	541.98
102	विर्दभा क्षत्रीय ग्रामीण बैंक	56	72.18	61	77.81
103	विजया बैंक	1126	7339.80	2380	14805.65
104	विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक	33	74.88	43	99.39
105	वेनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	7	53.44	7	53.44
106	येस बैंक लि.	19	909.00	19	909.00
	योग	**254000**	**1258922.35**	**551740**	**2384601.71**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान राज्य वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च, 2011 तक का संचयी

क्रमांक	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2011		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	अंडमान–निकोबार	190	729.56	385	1252.3
2	आंध्र प्रदेश	7523	46204.33	20192	85319.6
3	अरुणाचल प्रदेश	374	1704.8	733	2717.7
4	असम	9521	29566.08	16850	48395.61
5	बिहार	9844	39219.76	18755	63361.05
6	चंडीगढ़	565	3792.39	1862	9197.92
7	छत्तीसगढ़	2489	14329.72	5654	28618.87
8	दादरा, नगर हवेली	35	856.18	88	2173.83
9	दमन–दीव	39	772	103	1937.18
10	दिल्ली	2724	35745.15	4708	63287.27
11	गोवा	1828	11471.3	3605	22828.31
12	गुजरात	12623	104503.82	27388	218092.05
13	हरियाणा	2961	28799.56	8489	53644.47
14	हिमाचल प्रदेश	7071	44495.13	12433	69832.74
15	जम्मू–कश्मीर	1800	7342.37	4252	11663.54
16	झारखंड	7737	50394.79	17121	97208.92
17	कर्नाटक	19779	94303.54	39303	198504.75
18	केरल	20296	55730.44	53148	119632.29
19	लक्षदीव	41	83.96	49	94.66
20	मध्य प्रदेश	7552	39676.82	18076	80462.91
21	महाराष्ट्र	14955	127067.36	29825	232589.77
22	मणिपुर	166	437.66	294	659.52
23	मेघालय	973	3869.31	1801	6310.15
24	मिजोरम	148	539.35	525	1342.03
25	नागालैंड	163	1013.48	455	1802.33
26	उड़ीसा	13987	63638.29	30181	111333.74
27	पॉण्डिचेरी	153	909.72	575	2619.49
28	पंजाब	5029	40511.83	11264	72038
29	राजस्थान	9346	44929.85	28597	85491.97
30	सिक्किम	178	949.32	407	1660.14
31	तमिलनाडु	25755	98015.5	50843	195691.79
32	त्रिपुरा	1215	3586.62	1781	5105.87
33	उत्तर प्रदेश	37721	146005.95	80570	255437.34
34	उत्तराखंड	3917	21197.02	6315	34076.11
35	पश्चिम बंगाल	25302	96529.39	55113	200217.49
	योग	**254000**	**1258922.35**	**551740**	**2384601.71**

अनुबंध IV

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)					
वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान क्षेत्र–वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च, 2011 तक का संचयी					
		वित्तीय वर्ष 2011		संचयी	
क्रमांक	क्षेत्र	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	मूल धातु उद्योग	569	5630.95	2345	16657.51
2	पेय, तंबाकू आदि	286	2721.24	619	5705.23
3	रसायन आदि	637	10635.47	1876	24472.14
4	सूती वस्त्र	2014	13715.32	6156	32660.12
5	बिजली मशीनरी	883	12312.37	2606	26534.26
6	खाद्य उत्पाद	8972	52092.91	20917	102375.36
7	सूचना प्रौद्योगिकी	273	2394.73	1857	7795.08
8	जूट टेक्स्टाइल्स	233	994.04	691	2597.80
9	चमड़ा एवं फर उत्पाद	1304	6565.87	3828	14536.10
10	धातु उत्पाद	6731	42948.75	20206	92147.93
11	अविद्युतीय मशीनरी, औजार व पुर्जे	657	9485.29	1540	18957.81
12	अधात्विक उत्पाद	874	8734.47	2606	20518.61
13	कागज व मुद्रण	1250	15943.29	3739	34785.22
14	मरम्मत सेवाएं	4	5.60	921	593.45
15	पूँजीगत सामान से इतर मरम्मत सेवाएं	230	1436.22	665	3483.74
16	पूंजीगत सामान की मरम्मत सेवाएं	219	1240.86	690	3099.50
17	रबड़, पेट्रोलियम आदि	356	4668.27	871	10012.69
18	सेवाएं (उद्योग संबंधी)	31150	130570.46	54904	205667.77
19	सॉफ्टवेयर	295	4135.88	857	9154.93
20	वस्त्रोत्पाद	7465	53345.06	19665	124200.45
21	परिवहन उपकरण	397	5055.18	784	8675.15
22	लकड़ी फर्नीचर	2630	10419.67	8410	21732.46
23	ऊन, रेशम आदि	794	2306.66	2304	5959.01
24	अन्य विनिर्माण	185777	861563.79	392683	1592279.39
	योग	**254000**	**1258922.35**	**551740**	**2384601.71**

अनुबंध V

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)					
वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान स्लैब-वार गारंटी अनुमोदित तथा यथा 31 मार्च, 2011 तक का संचयी					
		वित्तीय वर्ष 2011		संचयी	
क्रमांक	स्लैब	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	100,000/- तक	80596	44489.09	237624	116296.45
2	100,001 से 200,000/-	62465	90404.55	104735	155112.63
3	200,001 से 500,000/-	58694	205445.67	107843	380431.08
4	500,001 से 10,00,000/-	24069	190907.08	47224	375683.83
5	10,00001 से 25,00000/-	20288	333851.12	40216	673082.49
6	25,00,001 से 50,00,000/-	5448	205973.81	10322	393493.22
7	50,00,001 से 100,00,000/-	2440	187851.03	3776	290502.01
	योग	**254000**	**1258922.35**	**551740**	**2384601.71**

खातों का विवरण

2010-11

लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

न्यासी–मंडल

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट

मुंबई

हमने सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट के 31 मार्च, 2011 तक के संलग्न तुलन पत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित आय–व्यय लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण की लेखा–परीक्षा की है, जो उक्त तुलन पत्र के साथ संलग्न है।

ये वित्तीय विवरण प्रबंधन का दायित्व हैं। हमारा दायित्व अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा मानकों के आधार पर की है। उन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित होता है कि हम समुचित रूप से आश्वस्त होने के लिए लेखा–परीक्षा आयोजित और निष्पादित करें। वित्तीय विवरण तथ्यों के त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण से मुक्त हैं। लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों एवं प्रकटनों के प्रमाण की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल होता है। साथ ही, लेखा–परीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन–सिद्धान्तों तथा महत्त्वपूर्ण अनुमानों का आकलन और वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा–परीक्षा समुचित आधार प्रदान करती है।

हम सूचित करते हैं कि

क) हमने वह समस्त आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) जैसाकि बहियों की जाँच करने पर हमारे देखने में आया है, हमारी राय में ट्रस्ट ने अब तक विधि के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा–बहियाँ तैयार की हैं।

ग) यह रिपोर्ट जिस तुलन–पत्र, आय–व्यय तथा नकदी प्रवाह विवरण पर आधारित है, वह लेखा–बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी टिप्पणियों के साथ पठित इन लेखों से निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति पता चलती है–

i. तुलन–पत्र से ट्रस्ट के 31 मार्च 2011 तक के कामकाज की स्थिति

ii. आय–व्यय लेखा से ट्रस्ट के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष की स्थिति

iii. नकदी प्रवाह विवरण से ट्रस्ट के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह की स्थिति

कृते डी. सी. बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं. 112257 डब्ल्यू)

स्थानः मुंबई
दिनांकः 28 सितंबर, 2011

(पवन बोथरा, एम. सं. 31215)
साझेदार

तुलन पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट					
31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र					
विवरण	अनुसूचियाँ	₹	यथा 31.03.2011 ₹	₹	यथा 31.03.2010 ₹
निधियों के स्रोत					
समूह निधि	1		29,383,924,443		24,530,246,243
चालू देयताएं एवं प्रावधान	2		4,017,541,532		4,020,627,349
योग			**33,401,465,975**		**28,550,873,592**
निधियों का अनुप्रयोग					
स्थिर आस्तियाँ					
कंप्यूटर		1,295,339		741,812	
घटाएं मूल्यह्रास		1,295,296	43	741,793	19
फर्नीचर व फिक्स्चर		–		–	
घटाएं मूल्यह्रास		–	–	–	–
बिजली की मदें		43,102		86,203	
घटाएं मूल्यह्रास		21,551	21,551	43,101	43,102
			21,594		**43,121**
निवेश	**3**		**31,232,681,816**		**26,208,724,923**
चालू आस्तियाँ					
हाथ में नकदी			304		2,414
बैंक शेष	4		37,065,848		13,459,445
उपचित आय	5		772,455,185		1,029,570,497
व्यय के लिए पूर्वदत्त तथा अग्रिम	6		196,689		323,285
कर प्राधिकारियों से वसूली योग्य राशि	7		1,359,044,539		1,298,749,907
योग			**33,401,465,975**		**28,550,873,592**
टिप्पणियाँ जो लेखों का हिस्सा हैं	9				

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.सी. बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पं. सं. 112257डब्ल्यू

(पवन बोथरा, एम. सं. 31215)
साझेदार

स्थानः मुंबई
तारीखः 28 सितंबर, 2011

उपर्युक्त तुलनपत्र तथा उससे संलग्न अनुसूचियां हमारे द्वारा अधिप्रमाणित हैं

न्यासी मंडल की ओर से

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष

(अमरेन्द्र सिन्हा)
उपाध्यक्ष

(यू.आर.टाटा)
सदस्य सचिव

आय–व्यय लेखा

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय लेखा

विवरण	अनुसूचियाँ	राशि (₹)	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
निवेशों पर ब्याज		2,179,903,925	2,946,535,589
गारंटी शुल्क		1,460,029,169	838,294,188
वार्षिक सेवा शुल्क		399,604,593	175,114,684
विविध प्राप्तियाँ		227,790	15,864
दंडात्मक ब्याज आय		505	70,820
दावा प्रदत्त खाते में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वसूली		30,898,215	10,319,174
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर लाभ		11,994	–
		4,070,676,191	**3,970,350,319**
व्यय			
परिचालन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	8	57,204,733	50,536,406
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		600,000,000	–
ब्याज एवं बैंक प्रभार		5,524	153,284
मूल्यह्रास		1,316,847	784,894
		658,527,104	51,474,584
व्यय पर आय का आधिक्य		**3,412,149,087**	**3,918,875,735**
जोड़ें /(घटाएँ) – पूर्ववर्ती अवधि की मदें		(3,067,888)	1,425,664
करपूर्व अधिशेष		**3,409,081,199**	**3,920,301,399**
घटाएं– आय कर हेतु प्रावधान		1,054,740,000	1,111,100,000
घटाएं– पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कर हेतु अल्प प्रावधान		662,998	690,363,582
व्यय पर आय का आधिक्य, समूह निधि में अंतरित		**2,353,678,201**	**2,118,837,817**
टिप्पणियाँ जो लेखों का हिस्सा हैं	9		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.सी. बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पं. सं. 112257डब्ल्यू

(पवन बोथरा, एम. सं. 31215)
साझेदार

स्थानः मुंबई
तारीखः 28 सितंबर, 2011

उपर्युक्त तुलनपत्र तथा उससे संलग्न
अनुसूचियां हमारे द्वारा अधिप्रमाणित हैं

न्यासी मंडल की ओर से

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष

(अमरेन्द्र सिन्हा)
उपाध्यक्ष

(यू.आर.टाटा)
सदस्य सचिव

अनुसूचियाँ

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट		
अनुसूचियाँ जो कि तुलन पत्र का हिस्सा हैं 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए		
विवरण	यथा 31.03.2011 (₹)	यथा 31.03.2010 (₹)
अनुसूची: 1		
समूह निधि		
निम्नलिखित से प्राप्त		
भारत सरकार	17,252,533,000	15,252,533,000
सिडबी	4,313,133,250	3,813,133,250
(सिडबी से आरएसएफ के लिए प्राप्त रु. 25,00,00,000/– की समूह निधि सहित)		
(क)	**21,565,666,250**	**19,065,666,250**
व्यय पर आय का आधिक्य		
शेष अग्रानीत	5,464,579,993	3,345,742,176
जोड़ेः चालू वर्ष का अधिशेष	2,353,678,201	2,118,837,817
(ख)	**7,818,258,193**	**5,464,579,993**
(क + ख)	**29,383,924,443**	**24,530,246,243**
अनुसूचीः2		
चालू देयताएं व प्रावधान		
गारंटी दावों के प्रति प्रावधान (अनुसूची 9 की टिप्पणी सं. 8 भी देखें)	3,991,996,899	3,991,616,617
व्ययों के प्रति बकाया देयताएँ	3,148,007	2,181,977
सिडबी को प्रतिपूरणीय राशि	3,508,031	2,645,538
गतावधि चेक के कारण दावा नहीं की गयी देयता	1,618,940	1,206,084
स्रोत पर काटा गया कर जो देय है	353,220	293,286
भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त बीमा	200,000	400,000
वापसी योग्य गारंटी शुल्क	128,186	–
वापसी योग्य वार्षिक सेवा शुल्क	49,205	–
प्राप्त अग्रिमः वि.आ.(हस्तशिल्प),भारत स. से जीएफ व एएसएफ	16,539,044	22,283,847
	4,017,541,532	**4,020,627,349**
अनुसूचीः3		
निवेश		
1) बैंकों के सावधि जमा में निवेश		
i) आरएसएफ निधियों का निवेश	250,000,000	250,000,000
ii) वि.आ.(हस्त.), भारत सरकार अग्रिम का निवेश	16,500,000	21,200,000
iii) समूह निधियों एवं अन्य निधियों का निवेश	30,713,081,816	25,927,524,923
2) डीआईएस के अंतर्गत आईडीबीआई में निवेश	253,100,000	10,000,000
	31,232,681,816	**26,208,724,923**

अनुसूचियाँ

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

अनुसूचियाँ जो कि तुलन पत्र का हिस्सा हैं 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण		यथा 31.03.2011 (₹)	यथा 31.03.2010 (₹)
अनुसूची:4			
बैंक शेष			
निम्नलिखित में चावू खाता			
आईडीबीआई बैंक लि.		37,026,804	12,375,598
आईडीबीआई बैंक लि, वि.आ.(हस्तशिल्प)भारत सरकार		39,044	1,083,847
		37,065,848	**13,459,445**
अनुसूची: 5			
उपचित आय			
निवेश पर ब्याज – स्रोत पर आयकर काटकर		772,455,185	1,029,570,497
		772,455,185	**1,029,570,497**
अनुसूची: 6			
प्राप्य राशियाँ			
पूर्वदत्त व्यय		–	313,285
सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से वसूली योग्य राशि		53,110	–
व्यय हेतु अग्रिम		143,579	10,000
		196,689	**323,285**
अनुसूची: 7			
कर–प्राधिकारियों से वसूली योग्य राशि			
31/3/07को वापस प्राप्य आय कर		523,218,921	523,218,921
31/3/08को वापस प्राप्य आय कर		611,302,943	611,302,943
अग्रिम कर, टीडीएस प्रदत्त 31/3/08		861,366,758	861,366,758
अग्रिम कर, टीडीएस प्रदत्त 31/3/08		1,112,762,901	1,103,969,365
अग्रिम कर, टीडीएस प्रदत्त 31/3/08		1,106,904,094	–
अनुषंगी लाभ कर वापसी योग्य		355,502	355,502
	(क)	**4,215,911,119**	**3,100,213,489**
घटाए: कर हेतु प्रावधान 31/03/09		690,363,582	690,363,582
कर हेतु प्रावधान31/03/10		1,111,762,998	1,111,100,000
कर हेतु प्रावधान31/03/11		1,054,740,000	–
	(ख)	2,856,866,580	1,801,463,582
कर प्राधिकारियों से वसूली योग्य राशि (क)–(ख)		**1,359,044,539**	**1,298,749,907**

अनुसूचियाँ

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट		
अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 तक के लाभ–हानि लेखे का हिस्सा हैं		
विवरण	यथा 31.03.2011 (₹)	यथा 31.03.2010 (₹)
अनुसूची:8		
परिचालन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	17,882,973	14,435,766
लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक	220,600	86,725
बोर्ड बैठक व्यय	22,203	65,299
सवारी एवं वाहन व्यय	1,990,597	1,453,874
कुरियर /डाक व्यय	331,493	344,366
स्वागत–सत्कार व्यय	41,351	51,235
बीमा प्रभार	57,692	38,584
आंतरिक लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक	165,450	351,156
सूचना प्रौद्योगिकी सेवा	3,882,963	3,492,356
सदस्यता शुल्क	100,000	–
विविध व्यय	95,035	69,011
कार्यालय व्यय	827,028	991,941
चेन्नै कार्यालय व्यय	666,762	–
कार्यालय भाड़ा	7,336,000	6,669,090
लेखन–सामग्री मुद्रण	533,325	1,128,863
प्रोफेशनल शुल्क	650,681	308,885
कार्मिक लागत एवं व्यय	13,210,271	15,274,356
सेमिनार एवं बैठक व्यय	3,974,784	1,798,877
सिडबी को प्रदत्त सेवा प्रभार	–	1,129,088
टेलीफोन व्यय	389,793	429,112
यात्रा व्यय	3,021,375	2,417,822
10वें स्थापना दिवस संबंधी व्यय	1,804,358	–
	57,204,733	**50,536,406**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
तुलन पत्र और आय–व्यय लेखे की अनुसूची

अनुसूची–9

लेखा टिप्पणियाँ

1. मुख्य लेखा–नीतियाँ

क. लेखा परिपाटियाँ

संलग्न वित्तीय विवरण कालक्रमिक लेखांकन को जारी रखते हुए सामान्यतः स्वीकृत लेखा–सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

ख. आय एवं व्यय का निर्धारण

गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क के मामले में ट्रस्ट लेखांकन के नकदी आधार और निवेश आय के मामले में उपचय/व्यापारिक आधार का पालन करता है। सावधि जमा पर उपचित ब्याज की गणना जैसा लागू हो– तिमाही/वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है।

ग. स्थिर आस्तियाँ

स्थिर आस्तियाँ लागत में से मूल्यह्रास घटाकर पर दर्शाई गई हैं। कंप्यूटर, फर्नीचर एवं फिक्सचर पर मूल्यह्रास की दर 100% तथा इलेक्ट्रिकलमदों पर 50% ली गई है।

घ. निवेश

निवेश लागत पर दर्शाए गए हैं। जोखिम साझेदारी निधि (आरएसएफ) से संबंधित निवेश और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त निधि को तुलनपत्र में अलग से दर्शाया गया है।

ङ. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्ववर्ती /पिछले वर्षों से संबंधित आय–व्यय का लेखांकन पूर्व–अवधि मदों के रूप में किया गया है।

च. सेवानिवृत्ति लाभ

ट्रस्ट में प्रतिनियुक्त अपने कर्मचारियों को सिडबी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाते हैं।

2. संचयी रूप से 31 मार्च 2011 तक ट्रस्ट को 36 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से दावों के 8209 आवेदन (गत वर्ष 4761) प्राप्त हुए। ट्रस्ट ने पहली किस्त के प्रति ₹ 112.11 करोड़ (गत वर्ष ₹ 53.02 करोड़) के लिए 5237 पात्र दावों (गत वर्ष 2506) का निपटान किया। 780 आवेदन (गत वर्ष 533) योजना के अंतर्गत अपात्र थे। दावा प्रस्तुत करने पर दावा निपटान के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी न करने के कारण 546 आवेदन (गत वर्ष 420) अधूरे थे। 69 आवेदन सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं ने वापस ले लिए। प्रतिभूति के विवरण, सब्सिडी राशि आदि की अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नहीं मिली थी और इसलिए दावों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया। 31 मार्च 2011 को 1577 आवेदन (गत वर्ष 1302) निपटान के लिए लंबित थे, जिनको बाद में निपटा दिया गया।

(₹ करोड़)

विवरण	यथा 31-03-11	यथा 31-03-10
गारंटी अनुमोदन	23,846.01	11,559.61
जारी की गई गारंटी	21,157.00	10,250.12
स्वीकृत गारंटी जिसमें निष्पादन लंबित है	2,689.01	1,309.49

धारित दावों के लिए प्रावधान के अतिरिक्त ट्रस्ट उन एमएसई के गैरनिष्पादन की स्थिति में स्वीकृत गारंटियों के लिए आपातिक रूप से उत्तरदायी है जिनकी सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदत्त/स्वीकृत की गई है।

4. ट्रस्ट सिडबी द्वारा प्रदत्त कार्यालय–परिसर, स्टाफ और सूचना प्रौद्योगिक सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। सिडबी और ट्रस्ट के मध्य 04 अक्तूबर 2001 को निष्पादित समझौता–ज्ञापन के अनुसार, ट्रस्ट सिडबी को उन खर्चों पर 20% की दर से सेवा प्रभार अदा करता है, जो सिडबी ने प्रशासनिक व्यय के प्रति जुलाई 2009 तक ट्रस्ट की ओर से किए हों और जिनका ट्रस्ट के कामकाज से सीधा संबंध हो। तदुपरान्त परस्पर वार्ता करके अगस्त 2009 से इन्हें समाप्त कर दिया गया।

5. ट्रस्ट पहली बार में दावा–निपटान की 75% राशि का भुगतान करता है। शेष राशि सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन होने के बाद अदा करने के लिए छोड़ दी जाती है। केवल 27 (गत वर्ष 7) मामलों में परवर्ती 25% की राशि का भुगतान किया गया है, जबकि अन्य मामलों में शेष राशि पाने की पात्रता हासिल करने के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को अब भी विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति करनी है।

लेखा टिप्पणियाँ

6. लेखा–परीक्षक का पारिश्रमिक ₹ 2,20,600 (गत वर्ष ₹ 2,04,055)

राशि (₹)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेखा–परीक्षा शुल्क	1,50,000	1,40,000
कर–लेखा–परीक्षा शुल्क	50,000	45,000
सेवा कर	20,600	19,055
योग	2,20,600	*2,04,055

(*₹ 1,17,330 की अ–प्रावधानित राशि सहित, जिसका वर्ष के दौरान पूर्व–अवधि मद के रूप में प्रावधान किया गया है)

7. कराधान

ट्रस्ट की आय 1 अप्रैल 2002 से आरंभ हुए मूल्यांकन वर्ष से 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष तक के पहले पाँच संगत वर्षों के लिए आय–कर से मुक्त थी। ट्रस्ट ने कर सलाहकार से स्वतंत्र राय ली है कि उस पर वित्तीय वर्ष 2007 और वित्तीय वर्ष 2008 के लिए कर अदायगी की देयता नहीं बनती। ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2007 और वित्तीय वर्ष 2008 के दौरान अदा किए गए ₹ 113.45 करोड़ के आय–कर की वापसी के लिए आय–कर विभाग के साथ मामले को उठाया है। ट्रस्ट ने चालू वर्ष के लिए ₹ 105.46 करोड़ की कर देयता के लिए प्रावधान किया है।

8. ट्रस्ट ने दी गई बकाया गारंटी की देयता का अनुमान प्रस्तुत करते हुए बीमांकक से रिपोर्ट प्राप्त की है। बीमांकक ने प्रस्तुत किए गए दावों और जारी की गई गारंटियों के मध्य अवरोही समीकरण लगाते हुए ऐसे दावों के संबंध में प्रावधान का मूल्यांकन किया है। बीमांकक ने अपनी रिपोर्ट में 31 मार्च, 2011 को बकाया गारंटी राशियों पर ₹ 22,422 लाख के प्रावधान का सुझाव दिया है। न्यासी मंडल ने मौजूदा प्रावधानों को बिना कोई कमी किए बनाए रखने का निर्णय किया है और इसलिए वर्ष के दौरान अदा दावों के बराबर अतिरिक्त प्रावधान जमा किए गए हैं। ऐसे दावों के प्रति प्रावधान के विवरण निम्नवत हैं–

राशि (₹)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 अप्रैल को आरंभिक शेष (अथ शेष)	3,99,16,16,617	4,33,49,12,993
घटाएं– वर्ष के दौरान प्रदत्त दावे	59,96,19,718	34,32,96,376
जोड़ें– वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	60,00,00,000	-
31 मार्च को इतिशेष	3,99,19,96,899	3,99,16,16,617

9. विदेशी मुद्रा में व्यय का विवरण (वास्तविक आधार पर)

राशि (₹)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सहभागिता शुल्क	81,070	62,257
यात्रा एवं अन्य	7,15,016	5,68,902

10. पिछले वर्ष के आँकड़ों का जरूरत के अनुसार पुनर्समूहन, पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संयोजन किया गया है।

कृते
डीसी बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजी. सं. 112257डब्ल्यू

(पवन बोथरा, एम.नं. 31215)
पार्टनर

स्थानः मुंबई
दिनांकः 28 सितंबर, 2011

न्यासी–मंडल की ओर से

(एस मुहनोत)
अध्यक्ष

(अमरेन्द्र सिन्हा)
उपाध्यक्ष

(यू आर टाटा)
सदस्य–सचिव

अपने लक्ष्य के प्रति अदम्य विश्वास से
प्रेरित दृढ़ निश्चियी व्यक्तियों का छोटा समूह
इतिहास की दिशा बदल सकता है ।

महात्मा गांधी

CMYK

CMYK

CMYK

11th

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT

2010 - 11

उद्यमशीलता को प्रोत्साहन। संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण को समर्थन

Encouraging Entrepreneurship. Enabling Collateral Free Credit

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

(भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

(Set up by Government of India and SIDBI)

CGTMSE

CMYK

CMYK

CMYK

Content

01 Letter of Transmittal

02 Message from the Chairman

03 Message from the CEO

04 Board of Trustees (As on 28 September, 2011)

05 Indian Economy

06 Report on the working of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises for the year ended 31 March, 2011

07 Auditor's Report

08 Balance Sheet & Statement of Accounts

CMYK

CMYK

Letter of Transmittal

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises,
MSME Development Centre, 7th Floor,
C-11/G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051.

28 September, 2011

To,

The Joint Secretary & Development Commissioner (MSME),
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt. of India,
Office of the Development Commissioner (MSME),
Nirman Bhavan, 7th Floor, A Wing, Maulana Azad Road,
New Delhi 110011.

The Chairman & Managing Director,
Small Industries Development Bank of India,
SIDBI Tower, 15 Ashok Marg,
Lucknow 226001.

Dear Sir,

In terms of Clause 14.2 of the Declaration of the Trust executed by the Government of India and Small Industries Development Bank of India, the Settlors, I forward herewith the following documents :

1) A copy of audited accounts of the Trust for the financial year ended 31 March, 2011 together with Auditor's Report, and

2) A copy of the report on the working of Credit Guarantee Fund Trust for Mirco& Small Enteprises for the period ended 31 March, 2011.

Yours faithfully,

Sd/-
(U.R. Tata)
Chief Executive Officer

Message from the Chairman

"CGTMSE has reached two significant milestones in FY 2011 i.e. recording over 2.50 lakh guarantee approvals, as on 31 March, 2011, the highest number of guarantee approvals in a single year and cumulative guarantee approvals of over 5.5 lakh proposals for an amount of ₹ 23846.01 crore. The Trust registered a growth of 68% in terms of number of accounts covered and 83% in terms of amount guaranteed over the previous financial year."

Message from the Chairman

The MSME sector is one of the largest in India. It is growing at a very fast pace and also contributes over 40% to the manufacturing and exports of India. Moreover, more than 70 million people are employed in this sector. The MSME sector is large and dispersed across the length and breadth of the country.

CGTMSE having been in existence for about a decade, has established itself as an important institution endeavouring to increase the flow of collateral free credit to units in MSE sector. CGTMSE has been able to instil confidence and encourage banks to lend more to MSEs by providing guarantee cover to credit facilities extended by these institutions. It is a matter of pride and satisfaction that within a short span of time, coverage under the Credit Guarantee Scheme (CGS) has gone up significantly. CGTMSE has leveraged technology and the entire operations of CGTMSE are online.

CGTMSE has reached two significant milestones in FY 2011 i.e. recording over 2.50 lakh guarantee approvals, as on 31 March, 2011, the highest number of guarantee approvals in a single year and cumulative guarantee approvals of over 5.5 lakh proposals for an amount of ₹ 23846.01 crore. The Trust registered a growth of 68% in terms of number of accounts covered and 83% in terms of amount guaranteed over the previous financial year.

Recognising the demand from the MSE sector, CGTMSE has undertaken efforts to create further awareness about CGS across the country. Special emphasis was laid on awareness creation and enhancement of coverage in under-served areas like Jammu & Kashmir, North Eastern Region and amongst women entrepreneurs.

In the path of pursing the development agenda, CGTMSE is instrumental in accelerating the credit flow to MSE sector. In the coming years, CGTMSE would continue to innovate and grow on all fronts, to facilitate access to collateral free credit.

I am grateful to Government of India, Ministry of MSME, Reserve Bank of India and SIDBI for their valuable and continuous support in creating a favourable environment for the MSE sector. I also thank all the MLIs as well as partner institutions of CGTMSE for their continued support in the operations of CGTMSE. I also compliment the CGTMSE team for their dedication and commitment without which this level of coverage would not have been possible.

With regards,

Sd/-
(S. Muhnot)

Mumbai
28 September, 2011

Message from the CEO

"CGTMSE has completed a successful journey of a decade of operations in the year, registering impressive growth both in scale and size to enable institutional credit flow to the MSE sector. Started with just 9 MLIs in its first year of operations, today CGTMSE has 126 Banks/ Institutions registered as its MLIs."

Message from the CEO

CGTMSE has completed a successful journey of a decade of operations in the year, registering impressive growth both in scale and size to enable institutional credit flow of to the MSE sector. Started with just 9 MLIs in its first year of operations, today CGTMSE has 126 Banks/ Institutions registered as its MLIs.

The year 2010 – 11 was a year of exponential growth under Credit Guarantee Scheme (CGS). CGTMSE achieved two significant milestones during the FY 2010-11, i.e., over 2.50 lakh guarantee approvals in a single financial year and 5.5 lakh guarantee approvals cumulatively as on 31 March, 2011. Growth registered was 68% in terms of number of proposals and 83% in terms of amount of guarantee approvals over the previous year.

CGTMSE has made several changes over the years to reflect the requirements of the MSE sector as well as meet expectations of MLIs enabling inclusive growth of Indian economy with wealth creation and employment generation. About one third of the number of cumulative guarantee approval under the CGS are in respect of women / minorities / other weaker sections of the society.

CGTMSE has adopted a multi-channel approach for creating awareness about CGS amongst all the stakeholders including Banks, Industry Associations, Entrepreneurs, etc. These measures are expected to give further fillip to the coverage under the scheme.

During the year, CGTMSE conducted 20th Asian Credit Supplementation Institutions Confederation (ACSIC) Training Programme at Mumbai from August 01 - 06, 2010. 33 officials of 13 Credit Guarantee Organisations from 10 countries actively participated in the programme and exchanged their views on credit guarantee mechanisms of their respective organizations. CGTMSE will now be hosting the 24th Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference during October 31, 2011 – November 04, 2011 at Goa.

With the active support and co-operation of the Ministry of MSME, Government of India, Reserve Bank of India, Small Industries Development Bank, World Bank, GTZ, our Member Lending Institutions and other stakeholders, CGTMSE is confident of contributing further to take the MSE sector to a new horizon of growth and prosperity.

With regards,

Sd/-
(U.R. Tata)

Mumbai
28 September, 2011

Board of Trustees of CGTMSE

(As on 28 September, 2011)

Shri S. Muhnot, Chairman (ex-officio)
Chairman & Managing Director,
Small Industries Development Bank of India,
Head Office: "SIDBI Tower", 15 Ashok Marg,
Lucknow 226001.

Shri Amarendra Sinha, Vice Chairman (ex-officio)
Joint Secretary & Development Commissioner (MSME),
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises,
Government of India,
A Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan, Maulana Azad Road,
New Delhi 110011.

Shri M.D. Mallya, Member (ex-officio)
Chairman, Indian Banks' Association &
Chairman & Managing Director,
Bank of Baroda, Baroda Corporate Centre, C 26, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400051.

Shri U.R. Tata, Member Secretary (ex-officio)
Chief Executive Officer,
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises,
7th Floor, MSME Development Centre, C-11, G Block,
Bandra Kurla complex, Bandra (East),
Mumbai 400051.

Indian Economy

The Global economy recovered considerably since the international financial crisis which originated from the USA in 2008. The global output, as per the International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook (September, 2011), recorded a growth of 5.1% during 2010 from a decline of -0.7% in 2009. The economic growth remained relatively resilient in emerging and developing economies, notwithstanding some moderation in response to monetary tightening to contain inflation. The world output is expected to record a growth of 4.0% in 2011.

The Indian economy made a strong turnaround since the global financial crisis. The GDP growth which decelerated to 6.8% in 2009, recovered faster to register a higher growth of 8% in 2010 and further 8.6% in 2011. However, during FY 2010-11 the growth in the Index of Industrial Production for FY 2010-11 stood lower at 7.8% as compared to 10.5% during the same period a year ago. The Manufacturing sector during FY 2010-11 registered a growth of 8.1% (11.0%). As per the Use-based classification, the Basic Goods, Capital Goods and Intermediate Goods during FY 2010-11 recorded a growth of 6.3%, 9.3% and 8.8%, respectively as against 7.2%, 20.9% and 13.6%, respectively, in FY 2009-10.

Micro, Small and Medium Enterprises Sector

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector is an important pillar of the Indian economy by way of creating employment of about 70 million through 30 million units, manufacturing more than 6000 products, contributing about 45% to manufacturing output and about 40% of exports, directly and indirectly.

Credit Flow to Micro and Small Enterprises sector by Scheduled Commercial Banks

As per the Reserve Bank of India, the outstanding credit to the Micro and Small Enterprises (MSE) sector by Scheduled Commercial Banks (SCBs) registered a growth of 21.8% during FY 2010-11 i.e. from ₹ 3,73,530 crore as at end March 2010 to ₹ 4,54,995 crore as at end March 2011.

The data on sectoral deployment of bank credit released by RBI reveals that the credit outstanding to manufacturing sector registered a lower growth of 11% in FY 2010-11 (22.1% in FY 2009-10) and its share in total credit outstanding to MSE sector also fell to 50% (55% as at end March, 2010). At the same time, the growth in credit to services sector and the share of services sector in total MSE credit showed improvement to 35.2% (19.2% in FY 2009-10) and 50% (45% as at end March, 2010), respectively.

Policy Environment

In order to support the MSMEs in an increasingly globalised world, marked by competition and innovation, newer and varied challenges, the Government of India and RBI have taken a number of proactive steps having a bearing on the MSME sector as mentioned below:

Union Budget 2011-12

The major steps initiated by Government of India relating to the MSME sector are :

- For the year 2011-12, ₹ 5,000 crore would be provided to SIDBI for refinancing incremental lending by banks to MSEs out of the shortfall of banks on priority sector lending targets.
- To create in the course of the year, “India Microfinance Equity Fund” of ₹ 100 crore with SIDBI for providing equity to smaller MFIs which would help them maintain growth and achieve scale and efficiency in operations.
- To empower women and promote their Self Help Groups (SHGs), create a “Women SHG’s Development Fund” with a corpus of ₹ 500 crore.
- Direct the Public Sector Banks to achieve the target of 15% as outstanding loans to minority communities at the earliest.
- Expect to take the share of manufacturing in GDP from about 16% to 25% over a period of ten years.
- To move beyond the formal R&D paradigm, a National Innovation Council has been set up to prepare a roadmap for innovations in India.

- National Skill Development Council (NSDC) is well on course to achieve its mandate of creation of 15 crore skilled workforce two years ahead of 2,022, the stipulated target year. Provide an additional ₹ 500 crore to the National Skill Development Fund during the next year.
- Target of providing banking facilities to all 73,000 habitations having a population of over 2,000 to be completed during 2011-12.
- To reduce the current surcharge of 7.5% on domestic companies to 5% and simultaneously, to increase the rate of Minimum Alternate Tax (MAT) from the current rate of 18% to 18.5% of book profits to keep the effective rate of the MAT at the same level.

RBI Monetary and Credit Policy

RBI has taken a monetary stance to nurture the recovery in the face of persistent global uncertainty while trying to contain the spillover of supply-side inflation. Some of the important measures were:

- Repo Rate and Reverse Repo Rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) were raised to 8.25% and 9.25% in September, 2011.
- A suitable format has been devised by the RBI to capture and monitor the achievement of targets as envisaged in the recommendations of the High Level Task Force on MSME by banks (viz., 50% in the year 2010-11, 55% in the year 2011-12 and 60% in the year 2012-13 and mandated to achieve a 10% annual growth in the number of micro enterprise accounts and a 20% year-on-year growth in credit to the MSE sector) and the same are regularly reviewed at the highest level. Banks, which lag behind in achieving the targets, have been mandated to submit an action plan to achieve the prescribed targets.
- A Sub-Committee of the Central Board of the RBI (Chairman: Shri Y. H. Malegam) was constituted to study issues and concerns in the Micro Finance Institution (MFI) sector. The Committee submitted its Report in January 2011.
- Enhancement of provisioning requirements on certain categories of non-performing advances and restructured advances as under :
  - ✧ Advances classified as "sub-standard" will attract a provision of 15% as against the existing 10% (the "unsecured exposures" classified as sub-standard assets will attract an additional provision of 10%, i.e., a total of 25% as against the existing 20%);
  - ✧ The secured portion of advances which have remained in "doubtful" category up to one year will attract a provision of 25% (as against the existing 20%);
  - ✧ The secured portion of advances which have remained in "doubtful" category for more than one year but upto 3 years will attract a provision of 40% (as against the existing 30%);
  - ✧ Restructured accounts classified as standard advances will attract a provision of 2% in the first 2 years from the date of restructuring, or in cases of moratorium on payment of interest/principal after restructuring, for the period covering moratorium and 2 years thereafter (as against existing provision of 0.25-1.00%, depending upon the category of advances); and
  - ✧ Restructured accounts classified as non-performing advances, when upgraded to standard category will attract a provision of 2% in the first year from the date of upgradation (as against existing provision of 0.25-1.00%, depending upon the category of advances).

Economic Outlook

As per the IMF World Economic Outlook, September, 2011, the global output is expected to regain some momentum during the second half of 2011 and expected to register a growth of 4.0% each in 2011 and 2012. Real GDP growth in the advance economies is expected to gradually return to about 2 percent. Growth is expected to remain very elevated in emerging Asia, notably in China and India, followed by Sub-Saharan Africa. For India, the

Indian Economy

RBI, during its mid-quarter review in September, 2011, has projected growth rate of 7.7% for FY 2012, mainly due to weakening of growth momentum in advance economies and consequently, slowing of global demand coupled with domestic demand and decelerated growth in industry and services. However, the growth prospects in the medium to long term look stronger and sustainable. The Planning Commission has targeted 9% growth for the 12th Five Year Plan (2013-17), which would make India's economic growth faster, sustainable and inclusive, as enshrined in the 12th Five Year Plan Approach Paper.

The MSME sector, whose growth rate has been consistently higher than industrial sector and services sector, is expected to move on an upward growth trajectory. A positive outlook on MSME sector is supported by the time-bound implementation of the recommendations of PM's Task Force on MSME sector, more particularly the recent RBI policy guidelines of increasing MSE credit growth by 20% annually by banks, earmarking 55% of MSE credit to micro enterprise sector by FY 2011-12 and 60% during FY 2012-13 and annual increase of 10% in micro enterprise credit accounts.

Report of CGTMSE

Report on the working of the Credit Guarantee Fund Trust For Micro and Small Enterprises (CGTMSE) for the year ended 31 March, 2011

Introduction

1. Corpus Fund of CGTMSE

1.1 The corpus of the Trust is contributed by the Government of India (GoI) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in the ratio of 4:1. The committed corpus of the Trust is ₹ 2,500 crore to be contributed by GoI (₹ 2,000 crore) and SIDBI (₹ 500 crore). During FY 2011, the Trust received ₹ 250.00 crore towards corpus of which GoI contributed ₹ 200.00 crore while SIDBI provided ₹ 50.00 crore to the corpus taking the aggregate amount of individual contributions to ₹ 1725.25 crore and ₹ 431.31 crore respectively. As at 31 March, 2011, the total corpus of the Trust was ₹ 2156.56 crore which formed 86.26% of the committed corpus. The details of year-wise corpus contribution is given in the following table:

Corpus Contribution (₹ crore)			
FY	**GoI**	**SIDBI**	**Total**
2001	100.00	25.00	125.00
2002	100.00	25.00	125.00
2003	141.62	35.40	177.02
2004	192.00	51.84	243.84
2005	211.63	49.07	260.70
2006	200.00	50.00	250.00
2007	124.00	33.00	157.00
2008	198.00	47.50	245.50
2009	122.10	34.00	156.10
2010	135.91	30.50	166.41
2011	200.00	50.00	250.00
Total	**1725.25**	**431.31**	**2156.56**

1.2 The balance contribution of ₹ 343.44 crore is due from GoI and SIDBI and the same is expected to be received in the next year. With the sharp increase in the guarantee approvals, it is felt that the corpus would have to be suitably augmented in due course. Necessary action in this regard has been initiated.

CGTMSE Corpus

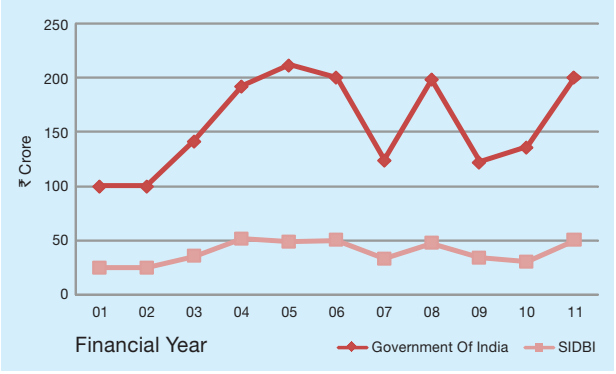

2. Member Lending Institutions

2.1 17 new Member Lending Institutions (MLIs) were registered with the Trust during FY 2011 taking the overall number of eligible lending institutions to 126 as at 31 March, 2011 (Annexure-I). Currently, 27 Public Sector Banks, 19 Private Sector Banks, 4 Foreign Banks, 67 Regional Rural Banks and 9 other Financial Institutions are eligible for guarantee cover from the Trust. Of the 17 new institutions added, 9 are Regional Rural Banks viz. Uttar Bihar Gramin Bank, Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Wainganga Krishna Gramin Bank, Ballia Etawah Gramin Bank, Bangiya Gramin Vikash Bank, Jharkhand Gramin Bank, Samastipur Kshetriya Gramin Bank, Sharda Gramin Bank and Surguja Kshetriya Gramin Bank, 3 Financial institutions viz. Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd., Andhra Pradesh State Financial Corporation and Export Import Bank of India, 3 Private Sector Banks viz. The Karur Vysya Bank, Development Credit Bank and Lakshmi Vilas Bank and 2 Foreign Banks viz., Barclays Bank PLC and Bank of Bahrain & Kuwait.

Growth in Number of MLIs

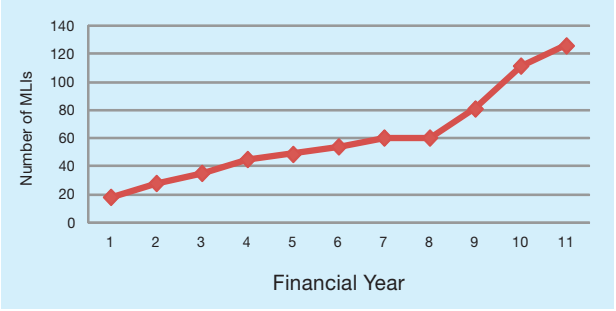

The Trust is examining the feasibility of further broad-basing the list of MLIs by inclusion of more financial institutions to cater to the MSEs in rural and semi-urban areas.

During the year some of the MLIs ceased to exist due to their merger with other banks/MLIs. Ballia Kshetriya Gramin Bank and Etawah Kshetriya Gramin Bank merged to form Ballia Etawah Gramin Bank, while Lucknow Kshetriya Gramin Bank and Triveni Kshetriya Gramin Bank merged to form Allahabad UP Gramin Bank.

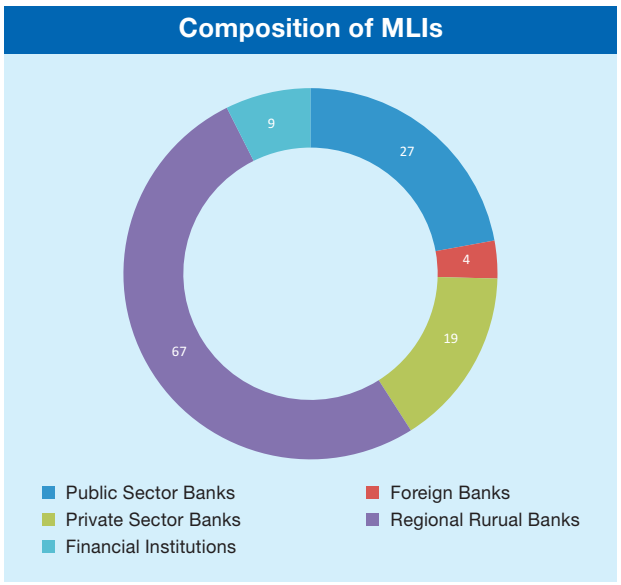

3. Modifications to the Credit Guarantee Scheme

The working group constituted to review the CGS has made host of recommendations which are under active consideration of the Settlors. Schematic changes shall be brought about in CGS immediately on acceptance of the recommendations.

4. Operations under Credit Guarantee Scheme

4.1 As at end of 31 March, 2011, there were 106 MLIs which were availing guarantee cover as against 85 MLIs during the previous financial year. Particulars of MLI-wise guarantee approvals during FY 2011 and cumulatively, as at 31 March, 2011 are given in Annexure-II.

4.2 Table below gives the details of year-wise guarantee approvals from inception till 31 March, 2011.

FY	No. of Active MLIs	No. of Credit Facilities Approved	Amount of Guarantees Approved (₹ Crore)	Cumulative Guarantees Approved (₹ Crore)	Average Size (₹ Lakh)
2001	9	951	6.06	6.06	0.63
2002	16	2296	29.52	35.58	1.28
2003	22	4955	58.67	94.25	1.18
2004	29	6603	117.60	211.85	1.78
2005	32	8451	267.46	538.62	3.16
2006	36	16284	461.91	1000.53	2.83
2007	40	27457	704.53	1705.06	2.56
2008	47	30285	1055.84	2701.59	3.48
2009	57	53708	2199.40	4824.34	4.09
2010	85	151387	6875.11	11559.61	4.54
2011	106	254000	12589.22	23846.01	4.95
Cumulative		**551740***		**23846.01**	**4.32**

* Actuals may vary due to intervening Cancellations / Modifications

Report of CGTMSE

No. of Credit Facilities Approved

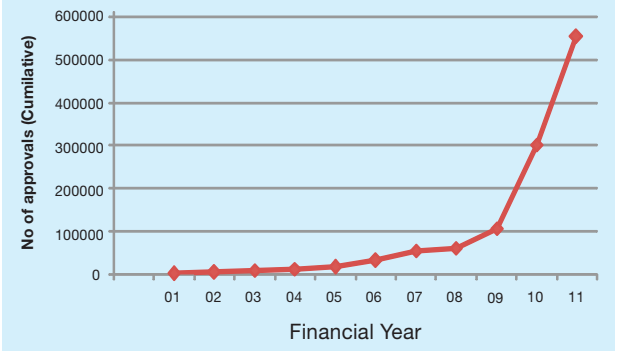

4.3 CGTMSE achieved two significant milestones during the FY 2010-11, i.e., over 2.50 lakh guarantee approvals in single financial year and 5.5 lakh guarantee approvals cumulatively as on March 31, 2011. The operations under CGS continued to exhibit consistent growth. From only 9 active MLIs in FY 2000-01, the number of MLIs availing the guarantee cover has gone up to 106 in FY 2010-11. As against the target of 2,50,000 guarantee approvals set for FY 2010-11, the Trust achieved 2,54,000 guarantee approvals amounting to ₹ 12,589.22 crore during FY 2010-11, registering a growth of 68% in terms of number of accounts covered and 83% in terms of amount guaranteed over the previous financial year. Cumulatively, as at 31 March, 2011, a total of 5,51,740 accounts have been accorded guarantee approval for ₹ 23,846.01 crore. The sharp growth in coverage under the Credit Guarantee Scheme is indicative of the fact that the Scheme is now finding greater acceptance with both the MLIs and the MSEs in the country.

Amount of Approvals (Cumulative)

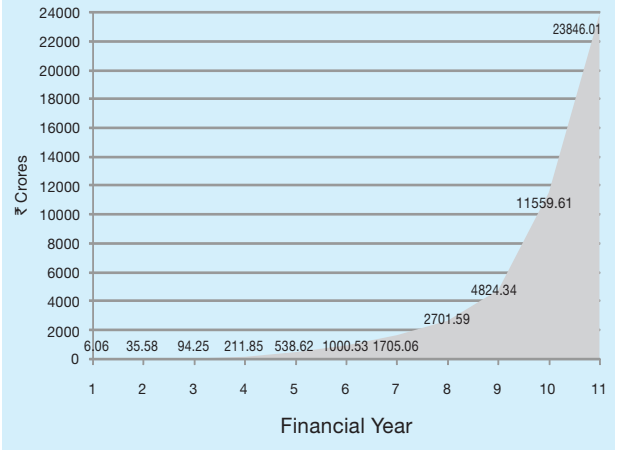

MLI-wise Coverage

4.4 During FY 2011, the top five MLIs in terms of number of proposals covered under Credit Guarantee Scheme were State Bank of India (50,344 proposals for ₹ 2,170.34 crore), Bank of India (28,280 proposals for ₹ 1,802.47 crore), Punjab National Bank (26,210

MLI wise Approvals (Numbers) (Cumulative)

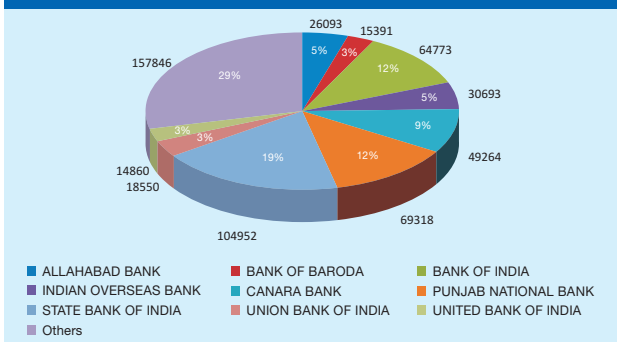

MLI wise Approvals (Amount ₹ crore) (Cumulative)

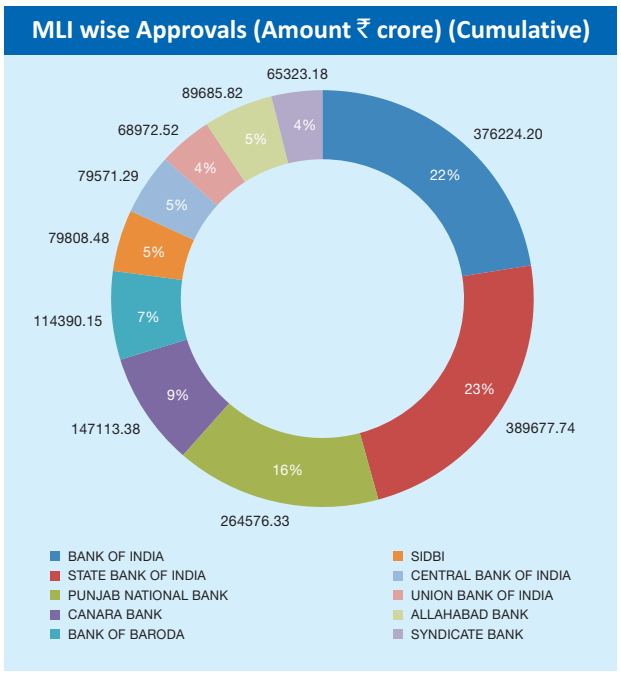

Shri U.R. Tata, CEO, CGTMSE at Financial Outreach Camp, Kamrup, Assam, presided by Dr. Subir Gokarn, Dy. Governor, RBI

Annexure-III. Uttar Pradesh lodged the maximum number of applications (37,721 proposals for ₹ 1,460.05 crore) during FY 2010-11, followed by Tamilnadu (25,755 proposals for ₹ 980.15 crore), West Bengal (25,302 proposals for ₹ 965.29 crore), Kerala (20,296 proposals for ₹ 557.30 crore) and Karnataka (19,779 proposals for ₹ 943.03 crore).

4.7 Cumulatively, upto 31 March, 2011, the highest coverage has been in Uttar Pradesh (80,570 proposals for ₹ 2,554.37 crore) followed by West Bengal (55,113 proposals for ₹ 2,002.17 crore), Kerala (53,148 proposals for ₹ 1,196.32 crore), Tamil nadu (50,843 proposals for ₹ 1,956.92 crore) and Karnataka (39,303 proposals for ₹ 1,985.05 crore).

State wise Approvals (Numbers) (Cumulative)

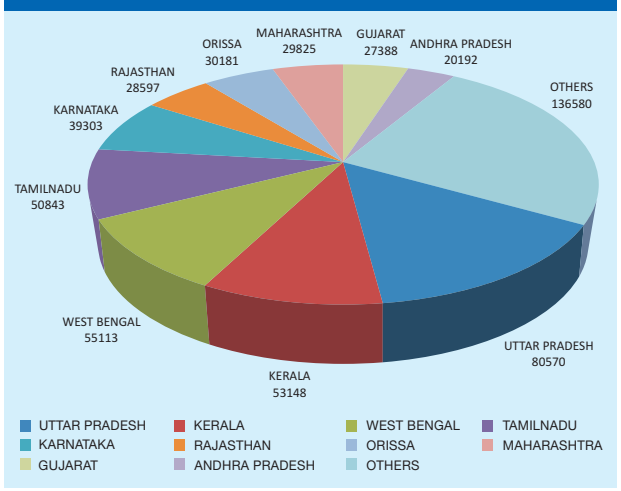

Industry-wise Coverage

State wise Approvals (Amount ₹ crore) (Cumulative)

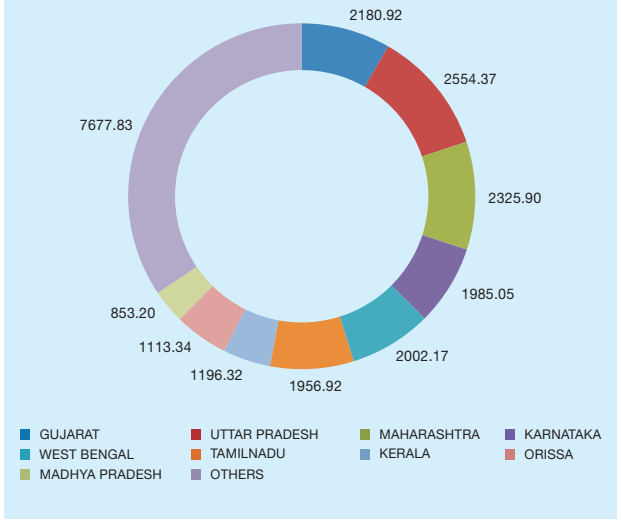

4.8 The data on industry-wise coverage under CGS as at 31 March, 2011, is given in Annexure-IV. It would be seen there from that nearly 71% of the guarantees are in respect of units categorized in "Others Manufacturing" (3,92,683 proposals for ₹ 15,922.79 crore) followed by Services - Industry related (54,904 proposals for ₹ 2,056.68 crore), Food Products (20,917 proposals for ₹ 1,023.75 crore), Metal Products (20,206 proposals for ₹ 921.48 crore) and Textile Products (19,665 proposals for ₹ 1,242.00 crore).

Slab-wise Coverage

4.9 The data on slab-wise coverage under CGS as at 31 March, 2011, is given in Annexure-V. The majority of proposals approved during FY 2011 were in respect of smaller loans. 2,01,755 proposals for ₹ 3,403.39 crore was in respect of loans up to ₹ 5 lakh accounting for 79.43% of the total guarantees approved in FY 2011. The highest growth within this slab was in respect of loans between ₹ 1,00,001 and ₹ 2 lakh which registered growth of 139% over FY 2010. Of the 2,54,000 proposals for ₹ 12,589.22 crore approved in FY 2011, 80,596 proposals (31.7%) pertained to category having credit component up to ₹ 1 lakh; 62,465 proposals (24.6%) having credit component in the range of ₹ 1,00,001 to ₹ 2 lakh; 58,694 proposals (23.1%) in the range of ₹ 2,00,001 to ₹ 5 lakh; 24,069 proposals (9.5%) in the range of

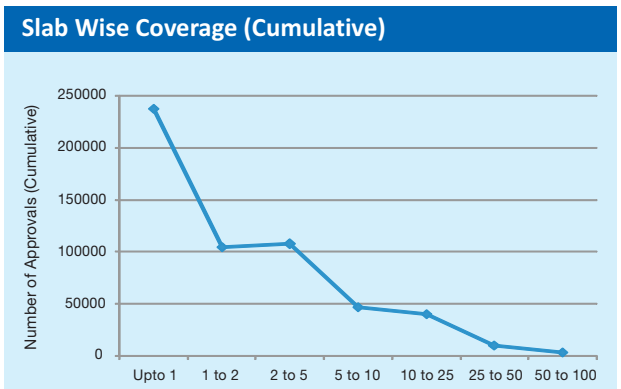

₹ 5,00,001 to ₹ 10 lakh; 20,288 proposals (8%) in the range of ₹ 10,00,001 to ₹ 25 lakh; 5,448 proposals (2.1%) in the range of ₹ 25,00,001 to ₹ 50 lakh; and 2,440 proposals (1%) in the above ₹ 50 lakh to ₹ 100 lakh category.

Average size of loans covered

4.10 If the year-wise growth in average size of loans covered under the scheme since inception is seen, it would indicate a growth trend. From ₹ 0.63 lakh in FY 2001, it went up to ₹ 4.54 lakh in FY 2010 and ₹ 4.95 lakh in FY 2011 with the overall average being ₹ 4.32 lakh.

Claim Settlement

4.11 During FY 2011, 2718 claims for ₹ 5996.19 lakh were settled taking the cumulative number of claims settled up to 31 March, 2011 to 5236 for ₹ 11217.92 lakh. As part of process improvement, the claim settlement procedure was made fully online and the response time has been further improved.

4.12 It may be observed that out of the total number of 5236 claims settled cumulatively as at 31 March, 2011, about 66% (3471 claims) were accounted by 5 banks. The details are given in Table below:

₹ Lakh

Sr. No.	MLI	No.	Amount	% to total	
				No.	Amt.
1	Canara Bank	1354	1631.52	25.85	14.54
2.	Union Bank of India	737	758.96	14.07	6.76
3.	State Bank of India	597	1422.69	11.40	12.68
4.	Bank of India	408	1160.22	7.79	10.34
5.	Punjab National Bank	375	661.07	7.16	5.89
	Sub-total	**3471**	**5634.46**	**66.27**	**50.21**
	All India Total	**5236**	**11217.92**		

4.13 The top five States in terms of claims settled as on 31 March, 2011 is given below.

₹ Lakh

Sr. No.	State	No.	Amount	% to total claims settled	
				No.	Amt.
1.	Kerala	1385	1439.83	26.45	12.83
2.	West Bengal	693	2064.92	13.23	18.40
3.	Tamil nadu	640	1796.97	12.22	16.01
4.	Karnataka	447	1379.46	8.53	12.29
5.	Uttar Pradesh	433	648.70	8.26	5.78
	Sub-Total	**3598**	**7329.88**	**68.69**	**65.31**
	All India Total	**5236**	**11217.92**		

It will be seen from the above table that almost 69% of the number of claims and 65% of amount settled is in respect of five states.

Shri U.R. Tata, CEO, CGTMSE receiving plaque of appreciation at 23rd ACSIC Conference, Cebu, Philippines.

5. Risk Sharing Facility (RSF)

The RSF was facilitated by a corpus of ₹ 25 crore provided by SIDBI out of the World Bank Line of Credit to SIDBI. This facility was a pilot project to guarantee collateral free loans above ₹ 50 lakh upto ₹ 100 lakh to MSEs as against the then prevailing guarantee ceiling of ₹ 50 lakh per borrower. Under this RSF, collateral free credit between ₹ 50 lakh and ₹ 100 lakh extended by MLIs to units in MSE sector were provided guarantee support to the extent of 50% subject to fulfillment of certain conditions. The corpus was leveraged 1.90 times to provide guarantee of ₹ 47.54 crore to 64 proposals. With the enhancement in guarantee limit to ₹ 100 lakh received under CGS in December 2008, the RSF Scheme was not continued beyond December 2008. Discussions are underway for implementing the Scheme of Risk Sharing Facility-II on pilot basis.

6. Advance funds from Office of Development Commissioner (Handicrafts), [DC(H)] Ministry of Textiles, Government of India.

DC (H) has placed advance funds of ₹ 2.80 crore with CGTMSE in April 2009 for meeting the guarantee fee and annual service fee for loans extended by MLIs to artisans in the handicraft sector. DC(H) has also committed for placing ₹ 3 crore every year for the next three years for the same purpose. As on 31 March, 2011, CGTMSE had utilized ₹ 1.14 crore out of the ₹ 2.80 crore placed with us. The cumulative number of proposals covered under the scheme as at the end of 31 March, 2011 is 21423. Development Commissioner (Handlooms) have also approached us for placement of advance funds for meeting the guarantee fee and annual service fee for loans extended by MLIs to the artisans in handloom sector. The Trust may enter into arrangement with DC(Handlooms) similar to the one with DC(Handicrafts) as it would facilitate increase in coverage of such loans.

7. Business Development Initiatives

CGTMSE has adopted multi-channel approach for creating awareness of the CGS amongst banks, MSE industry associations, MSE sector, etc. through print and press media, conducting workshops / seminars, attending the programmes organized at various district / state / national fora, etc. During the year, CGTMSE participated in various seminars / workshops organized by MLIs and Industry Associations, exhibitions and meetings organized by RBI / Govt. in connection with MSE sector, across the country to create awareness about CGS. Special emphasis was laid on awareness creation and enhancement of coverage in under-served areas like Jammu and Kashmir, North Eastern Region and amongst women entrepreneurs. CGTMSE officials also held business development meetings with its Member Lending Institutions. Sustained print media campaigns were carried out across the country throughout the year to improve visibility and create awareness about the scheme. Information dissemination campaigns were vigorously carried out amongst various stakeholders.

During the period of 01 April, 2010 to 31 March, 2011, CGTMSE participated in 726 Seminars / Workshops / Bankers' meet / Business Development Meetings, and also made presentations to sensitize bank officials / small enterprises on the various aspects of the Credit Guarantee Scheme. The workshops were generally arranged by the member banks / SIDBI / CGTMSE / Industry Associations, etc.

8. Overall impact of CGS operations

CGTMSE's operations had a positive impact on the economy in terms of turnover, exports and employment of credit guaranteed MSEs as given in the Table

No. of MSE units / facilities	551740
Loan Amount (extended by MLIs) (₹ crore)	23846.01
Expected turnover of guaranteed units (₹ crore)*	148314.37
Expected exports by guaranteed units (₹ crore)*	3149.43
Expected employment generation (No. lakh)*	32.13
Number of MLIs	126

* as reported by MLIs

Report of CGTMSE

9. ACSIC Training Programme

CGTMSE hosted the 20th Asian Credit Supplementation Institutions Confederation (ACSIC) Training Programme at Mumbai from August 01-06, 2010. A total of 33 officials of 13 Credit Guarantee Organisations from 10 countries participated in the programme. The programme was organized for the first time in India and provided an opportunity to the participants to exchange views on credit guarantee mechanisms of their respective countries and understand the issues with regard to enhancing the effectiveness of the credit guarantee schemes operated by the respective organizations. CEO, CGTMSE also participated in the 23rd ACSIC Conference held at Cebu, Philippines during November, 2010. The 24th ACSIC Conference is scheduled to be held during November 2011 in Goa, India.

20th ACSIC Training Programme hosted by CGTMSE.

10. Membership of ADFIAP

During the year, the Trust acquired the membership of Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), one of the largest and most prestigious association of development banks and other financial institutions engaged in the financing of development in the Asia-Pacific region. It is felt that CGTMSE would greatly benefit from having a membership of ADFIAP.

11. Auditors

11.1 M/s. Ray & Ray, Mumbai, a firm of Chartered Accountants, has been appointed as internal auditors of CGTMSE, for the FY 2010-11. The Auditors have undertaken a comprehensive review of the entire computer systems as also financial audit covering revenue expenses, investment and revenue income.

11.2 As recommended by the Comptroller and Auditor General of India, the Board appointed M/s. D.C. Bothra & Co., Mumbai, a firm of Chartered Accountants, as Statutory Auditors of CGTMSE for the FY 2010-11.

12. Tax Exemption to CGTMSE

As per the provisions of the Finance Bill introduced by the then Hon'ble Finance Minister on 28 February, 2002 and passed by the Parliament, under sub-section 23EB U/S 10 of Income Tax Act, 1961, the income of CGTMSE was exempted from tax payment for a period of 5 years commencing from the Financial Year 2001-02 (Assessment Year 2002-03). The tax exemption came to an end in FY 2005-06 and has not been extended for the future period. In the previous year relevant to assessment year 2008-09, CGTMSE has claimed exemption u/s 11 and 12 of the Act and for which the Trust has also obtained the opinion of M/s. Bansi S. Mehta & Co. In this regard Trust has filed for refund of Income tax paid of ₹ 113.45 crore with the Income Tax Department.

13. Accounts

During the FY 2010-11, the Trust earned income of ₹ 407.07 crore, comprising mainly Guarantee Fee (₹ 146.00 crore), Annual Service Fee (₹ 39.96 crore), interest earned on investments (₹ 217.99 crore). Trust had incurred ₹ 5.72 crore towards various operational and administrative expenditure mainly comprising, staff salaries and allowances (₹ 1.31 crore), advertising and publicity expenses (₹ 1.79 crore), rent for office premises (₹ 0.73 crore), web-hosting, IT services and other related charges for computer and software expenditure (₹ 0.39 crore) and other office expenses. The excess of income over expenditure was ₹ 235.37 crore after payment of taxes. The provisioning for claims is being made on the actuarial valuation of liability of the Trust since FY 2009. As per the Actuarial report, the provision is estimated at ₹ 224.22 crore as against brought forward provision of ₹ 399.16 crore. However, it has been considered prudent to retain the existing provision without dilution and therefore additional provision of ₹ 60.00 crore to the extent of claims paid during the year has been made.

14.Corpus, Investment and guarantees issued

During the year, the Trust received corpus contribution from its settlers to the extent of ₹ 250.00 crore. This, together with the corpus contributions already received, and the net income earned by the Trust so far, had been invested in FDs of banks / institutions. The size of the corpus of the fund as on 31 March, 2011 stood at ₹ 2156.56 crore. The total investment as at March 31, 2011 stood at ₹ 3123.26 crore as against ₹ 2620.87 crore as at the end of the previous year. During the year ended March 31, 2011, guarantee cover issued by the Trust was for ₹ 10906.88 crore taking the cumulative guarantees issued to ₹ 21157.00 crore as on 31 March, 2011.

15. Management & Organization

15.1 The Board of Trustees during FY 2010-11 comprised of Chairman & Managing Director of SIDBI as ex-officio Chairman, Additional Secretary & Development Commissioner (MSME), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India as ex-officio Vice-Chairman, Chairman Indian Banks' Association (IBA) as ex-officio member and Chief Executive Officer of CGTMSE as Member Secretary. During FY 2010-11, 2 meetings of the Board of Trustees were held. As on 31 March, 2011, eight officers including the CEO were on deputation with CGTMSE from SIDBI.

15.2 The Board of Trustees of CGTMSE appreciates the support and cooperation received from Ministry of MSME, Government of India, Office of DC (MSME), Ministry of MSME, Government of India, Office of DC (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India, SIDBI, RBI, IBA, MLIs of CGTMSE, GTZ, World Bank, various National and State-level institutions and MSE Industry Associations.

Credit Guarantee Fund Trust
for Micro and Small Enterprises

For and on behalf of the Board of Trustees

Place: Mumbai
Date: 28 September, 2011

Sd/-
(S. Muhnot)

Annexure I

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE as on 31 March, 2011

(A) SCHEDULED COMMERCIAL BANKS		(B) REGIONAL RURAL BANKS	
(i)	**PUBLIC SECTOR BANKS**	1	Allahabad UP Gramin Bank
1	Allahabad Bank	2	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2	Andhra Bank	3	Andhra Pragathi Grameena Bank
3	Bank of Baroda	4	Aryavart Gramin Bank
4	Bank of India	5	Assam Gramin Vikash Bank
5	Bank of Maharashtra	6	Baitarani Gramya Bank
6	Canara Bank	7	Ballia Etawah Gramin Bank
7	Central Bank of India	8	Bangiya Gramin Vikash Bank
8	Corporation Bank	9	Baroda Gujarat Gramin Bank
9	Dena Bank	10	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
10	IDBI Bank Limited	11	Bihar Kshetriya Gramin Bank
11	Indian Bank	12	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
12	Indian Overseas Bank	13	Chaitanya Godavari Grameena Bank
13	Oriental Bank of Commerce	14	Chattisgarh Gramin Bank
14	Punjab & Sind Bank	15	Chikmagalur-Kodagu Gramin Bank
15	Punjab National Bank	16	Deccan Gramin Bank
16	Syndicate Bank	17	Dena Gujarat Gramin Bank
17	UCO Bank	18	Durg Rajnandgaon Gramin Bank
18	Union Bank of India	19	Gurgaon Gramin Bank
19	United Bank of India	20	Hadoti Kshetriya Gramin Bank
20	Vijaya Bank	21	Haryana Gramin Bank
		22	Himachal Gramin Bank
(ii)	**SBI AND ITS ASSOCIATE BANKS**	23	Jaipur Thar Gramin Bank
1	State Bank of India	24	Jharkhand Gramin Bank
2	State Bank of Indore *	25	Karnataka Vikas Grameena Bank
3	State Bank of Bikaner & Jaipur	26	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank
4	State Bank of Hyderabad	27	Krishna Grameena Bank
5	State Bank of Mysore	28	Langpi Dehangi Rural Bank
6	State Bank of Patiala	29	Madhya Bharat Gramin Bank
7	State Bank of Travancore	30	Madhya Bihar Gramin Bank

Annexure I

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE as on 31 March, 2011

(A) SCHEDULED COMMERCIAL BANKS		(B) REGIONAL RURAL BANKS	
(iii)	**PRIVATE SECTOR BANKS**	31	Maharashtra Godavari Gramin Bank
1	Axis Bank Ltd.	32	Malwa Gramin Bank
2	City Union Bank.	33	MGB Gramin Bank
3	Development Credit Bank Ltd.	34	Mizoram Rural Bank
4	HDFC Bank Ltd.	35	Nainital – Almora Kshetriya Gramin Bank
5	ICICI Bank Ltd.	36	Narmada Malwa Gramin Bank
6	IndusInd Bank Ltd.	37	Neelachal Gramya Bank
7	ING Vysya Bank Ltd.	38	North Malabar Gramin Bank
8	Karnataka Bank Ltd.	39	Pallavan Gramin Bank
9	Kotak Mahindra Bank Ltd.	40	Pandyan Grama Bank
10	Lakshmi Vilas Bank	41	Parvatiya Gramin Bank
11	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	42	Pragathi Gramin Bank
12	The Bank of Rajasthan Ltd. *	43	Prathama Bank
13	The Dhanalakshmi Bank Ltd.	44	Punjab Gramin Bank
14	The Federal Bank Ltd.	45	Purvanchal Gramin Bank
15	The Jammu & Kashmir Bank Ltd.	46	Rajasthan Gramin Bank
16	The Karur Vysya Bank Ltd	47	Rewa Siddhi Gramin Bank
17	The Nainital Bank Ltd.	48	Rushikulya Gramya Bank
18	The South Indian Bank Ltd.	49	Samastipur Kshetriya Gramin Bank
19	YES Bank Ltd.	50	Saptagiri Grameena Bank
		51	Sarva UP Gramin Bank
(iv)	**FOREIGN BANK**	52	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank
1	Barclays Bank PLC	53	Saurashtra Gramin Bank
2	Bank of Bahrain and Kuwait	54	Sharda Gramin Bank
3	Deutsche Bank	55	Shreyas Gramin Bank
4	Standard Chartered Bank	56	South Malabar Gramin Bank
		57	Surguja Kshetriya Gramin Bank
		58	Sutlej Gramin Bank (SGB)
		59	Tripura Gramin Bank
		60	Triveni Kshetriya Gramin Bank

Annexure I

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE as on 31 March, 2011

(B) REGIONAL RURAL BANKS

61 Uttar Bihar Gramin Bank

62 Uttaranchal Gramin Bank

63 Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank

64 Vidharbha Kshetriya Gramin Bank

65 Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

66 Visveshvaraya Grameena Bank

67 Wainganga Krishna Gramin Bank

(C) LENDING INSTITUTIONS

1 Andhra Pradesh State Financial Corporation

2 Delhi Financial Corporation

3 Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd

4 Kerala Financial Corporation

5 National Small Industries Corporation Ltd.

6 North Eastern Development Finance Corporation Ltd.

7 Small Industries Development Bank of India

8 The Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.

9 Export Import Bank of India

*

1 State Bank of Indore - Since merged with State Bank of India

2 The Bank of Rajasthan Ltd. - Since merged with ICICI Bank Ltd.

Annexure II

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

MLI-Wise Guarantees approved during FY2011 & Cumulative as on 31 March, 2011

SNo.	MLI	FY 2011		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Allahabad Bank	12502	52969.20	26093	89685.82
2	Allahabad Up Gramin Bank	627	1597.74	771	2023.47
3	Andhra Bank	1528	7929.88	2981	13746.43
4	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	478	410.05	478	410.05
5	Andhra Pradesh State Financial Corporation	3	87.40	3	87.40
6	Andhra Pragathi Grameena Bank	213	217.86	223	254.46
7	Aryavart Gramin Bank	565	2470.96	895	3769.60
8	Assam Gramin Vikash Bank	1679	4148.27	1777	4613.75
9	Axis Bank Limited	229	10661.02	644	22751.80
10	Baitarani Gramya Bank	1248	4376.18	1288	4562.09
11	Bangiya Gramin Vikash Bank	158	319.51	158	319.51
12	Bank of Baroda	6649	57809.60	15391	114390.15
13	Bank of India	28280	180247.74	64773	376224.20
14	Bank of Maharashtra	2214	15906.75	5495	31194.41
15	Baroda Gujarat Gramin Bank	18	107.35	23	129.76
16	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	206	961.59	274	1204.76
17	Canara Bank	11972	55759.31	49264	147113.38
18	Cauvery Kalpataru Grameena Bank	8	62.14	10	107.64
19	Central Bank of India	6637	38673.91	13624	79571.29
20	Chaitanya Godavari Grammena Bank	7	9.42	28	49.28
21	Chattisgarh Gramin Bank	316	152.61	316	152.61
22	Chikmagalur-kodagu Grameena Bank	1	1.90	29	45.30
23	City Union Bank	24	398.97	24	398.97
24	Corporation Bank	1804	11642.59	4722	29018.77
25	Deccan Grameena Bank	22	81.48	23	82.98
26	Delhi Financial Corporation	279	833.82	500	1072.87
27	Dena Bank	1259	12161.16	4550	23564.67

Annexure II

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

MLI-Wise Guarantees approved during FY2011 & Cumulative as on 31 March, 2011

SNo.	MLI	FY 2011		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
28	Dena Gujarat Gramin Bank	4	17.32	4	17.32
29	Deutsche Bank	0	0.00	17	383.50
30	Durg Rajnandgaon Gramin Bank	327	536.11	1177	1473.86
31	Gurgaon Gramin Bank	24	65.47	33	92.03
32	Hadoti Kshetriya Gramin Bank	2	1.50	3	3.00
33	Haryana Gramin Bank	122	277.05	163	359.39
34	HDFC Bank Ltd.	765	19316.63	853	21372.13
35	Himachal Gramin Bank	232	1854.83	255	2131.91
36	ICICI Bank	19	204.06	48	471.86
37	IDBI Bank Ltd.	439	12882.50	1481	39927.12
38	Indian Bank	1872	7576.49	6439	19963.34
39	Indian Overseas Bank	22856	82010.72	30693	104977.72
40	Indusind Bank	0	0.00	4	60.88
41	Ing Vysya Bank Ltd.	6	195.50	73	1734.03
42	Jaipur Thar Gramin Bank	397	122.84	785	205.42
43	Jharkhand Gramin Bank	33	215.93	33	215.93
44	Karnataka Bank Ltd.	1976	9648.94	1992	9709.87
45	Karnataka Vikas Grameena Bank	3549	7320.54	5352	10657.29
46	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	181	483.40	241	630.81
47	Kerala Financial Corporation	13	299.75	13	299.75
48	Kotak Mahindra Bank	1	30.00	1	30.00
49	Krishna Grameena Bank	39	32.44	42	36.46
50	Langpi Dehangi Rural Bank	127	268.49	127	268.49
51	Madhya Bihar Gramin Bank	0	0.00	14	12.90
52	MGB Gramin Bank	29	50.29	50	80.81
53	Mizoram Rural Bank	87	315.90	87	315.90
54	Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	2	11.85	5	51.10

Annexure II

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

MLI-Wise Guarantees approved during FY2011 & Cumulative as on 31 March, 2011

SNo.	MLI	FY 2011		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
55	Narmada Malwa Gramin Bank	11	30.77	11	30.77
56	National Small Industries Corporation Ltd.	0	0.00	175	1453.66
57	Neelachal Gramya Bank	168	1044.26	168	1044.26
58	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	3	8.67	6	13.45
59	North Malabar Gramina Bank	87	161.67	116	218.63
60	Oriental Bank of Commerce	5179	50326.93	7902	73175.90
61	Pandyan Grama Bank	213	221.28	213	221.28
62	Parvatiya Gramin Bank	97	479.28	102	507.04
63	Pragathi Gramin Bank	3	3.45	4	4.31
64	Prathama Bank	1443	4357.98	2221	6706.55
65	Punjab & Sind Bank	909	4412.46	2200	8358.02
66	Punjab National Bank	26210	143886.31	69318	264576.33
67	Purvanchal Gramin Bank	5624	8566.23	7973	11873.29
68	Rajasthan Gramin Bank	37	110.58	43	170.35
69	Rushikulya Gramya Bank	1	15.00	9	41.86
70	Sarva UP Gramin Bank	1228	1081.67	1368	1212.32
71	Saurashtra Gramin Bank	27	162.94	29	169.34
72	Shreyas Gramin Bank	30	72.10	59	86.34
73	Small Industries Development Bank of India	1327	30921.06	4257	79808.48
74	South Malabar Gramin Bank	4252	5785.57	5735	7614.64
75	Standard Chartered Bank	403	8650.98	403	8650.98
76	State Bank of Bikaner & Jaipur	2399	6087.70	10785	16496.81
77	State Bank of Hyderabad	1189	5192.30	3409	14351.86
78	State Bank of India	50344	217034.90	104952	389677.74
79	State Bank of Indore	568	1346.66	970	3667.13
80	State Bank of Mysore	2297	13315.59	3806	22714.00
81	State Bank of Patiala	1661	13648.67	2695	19433.57

Annexure II

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

MLI-Wise Guarantees approved during FY2011 & Cumulative as on 31 March, 2011

SNo.	MLI	FY 2011		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
82	State Bank of Saurashtra	0	0.00	30	92.02
83	State Bank of Travancore	4464	17160.42	10350	31556.49
84	Sutlej Gramin Bank	10	2.75	10	2.75
85	Syndicate Bank	6361	30961.42	12972	65323.18
86	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	41	453.70	160	701.74
87	The Bank of Rajasthan Ltd.	84	27.30	611	158.57
88	The Dhanalakshmi Bank Ltd.	6	235.35	6	235.31
89	The Federal Bank Ltd.	772	4971.57	2666	13382.58
90	The Jammu & Kashmir Bank Ltd.	131	316.03	1081	835.93
91	The Karur Vysya Bank Ltd.	4	80.34	4	80.34
92	The Nainital Bank Ltd.	11	223.15	57	745.28
93	The South Indian Bank Ltd.	4	5.40	10	15.47
94	The Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.	1866	3335.49	1866	3335.49
95	Tripura Gramin Bank	114	259.36	157	542.81
96	Triveni Kshetriya Gramin Bank	0	0.00	4	45.35
97	UCO Bank	5109	12454.72	11648	30127.49
98	Union Bank of India	8241	31917.44	18550	68972.52
99	United Bank of India	7237	26180.24	14860	55482.97
100	Uttaranchal Gramin Bank	180	759.53	456	2171.00
101	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank	386	466.87	461	541.98
102	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank	56	72.18	61	77.81
103	Vijaya Bank	1126	7339.80	2380	14805.65
104	Visveshvaraya Grameena Bank	33	74.88	43	99.39
105	Wainganga Krishna Gramin Bank	7	53.44	7	53.44
106	Yes Bank Ltd.	19	909.00	19	909.00
	Total	**254000**	**1258922.35**	**551740**	**2384601.71**

Annexure III

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

State-Wise Guarantees approved during FY2011 & Cumulative as on 31 March, 2011

SNo.	MLI	FY 2011		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Andaman & Nicobar	190	729.56	385	1252.3
2	Andhra Pradesh	7523	46204.33	20192	85319.6
3	Arunachal Pradesh	374	1704.8	733	2717.7
4	Assam	9521	29566.08	16850	48395.61
5	Bihar	9844	39219.76	18755	63361.05
6	Chandigarh	565	3792.39	1862	9197.92
7	Chhattisgarh	2489	14329.72	5654	28618.87
8	Dadra & Nagar Haveli	35	856.18	88	2173.83
9	Daman & Diu	39	772	103	1937.18
10	Delhi	2724	35745.15	4708	63287.27
11	Goa	1828	11471.3	3605	22828.31
12	Gujarat	12623	104503.82	27388	218092.05
13	Haryana	2961	28799.56	8489	53644.47
14	Himachal Pradesh	7071	44495.13	12433	69832.74
15	Jammu & Kashmir	1800	7342.37	4252	11663.54
16	Jharkhand	7737	50394.79	17121	97208.92
17	Karnataka	19779	94303.54	39303	198504.75
18	Kerala	20296	55730.44	53148	119632.29
19	Laksha Deep	41	83.96	49	94.66
20	Madhya Pradesh	7552	39676.82	18076	80462.91
21	Maharashtra	14955	127067.36	29825	232589.77
22	Manipur	166	437.66	294	659.52
23	Meghalaya	973	3869.31	1801	6310.15
24	Mizoram	148	539.35	525	1342.03
25	Nagaland	163	1013.48	455	1802.33
26	Orissa	13987	63638.29	30181	111333.74
27	Pondicherry	153	909.72	575	2619.49
28	Punjab	5029	40511.83	11264	72038
29	Rajasthan	9346	44929.85	28597	85491.97
30	Sikkim	178	949.32	407	1660.14
31	Tamilnadu	25755	98015.5	50843	195691.79
32	Tripura	1215	3586.62	1781	5105.87
33	Uttar Pradesh	37721	146005.95	80570	255437.34
34	Uttaranchal	3917	21197.02	6315	34076.11
35	W B	25302	96529.39	55113	200217.49
	Total	**254000**	**1258922.35**	**551740**	**2384601.71**

Annexure IV

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Sector-Wise Guarantees approved during FY2011 & Cumulative as on 31 March, 2011

SNo.	MLI	FY 2011		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Basic Metal Industries	569	5630.95	2345	16657.51
2	Beverages, Tobacco Etc.	286	2721.24	619	5705.23
3	Chemicals Etc.	637	10635.47	1876	24472.14
4	Cotton Textiles	2014	13715.32	6156	32660.12
5	Electrical Machinery	883	12312.37	2606	26534.26
6	Food Products	8972	52092.91	20917	102375.36
7	Information Technology	273	2394.73	1857	7795.08
8	Jute Textiles	233	994.04	691	2597.80
9	Leather And Fur Products	1304	6565.87	3828	14536.10
10	Metal Products	6731	42948.75	20206	92147.93
11	Non-electrical Machinery, Tools And Parts	657	9485.29	1540	18957.81
12	Non-metallic Products	874	8734.47	2606	20518.61
13	Paper And Printing	1250	15943.29	3739	34785.22
14	Repairing Services	4	5.60	921	593.45
15	Repairing Services Except Capital Goods	230	1436.22	665	3483.74
16	Repairing Services For Capital Goods	219	1240.86	690	3099.50
17	Rubber, Petroleum Etc.	356	4668.27	871	10012.69
18	Services (Industry related)	31150	130570.46	54904	205667.77
19	Software	295	4135.88	857	9154.93
20	Textile Products	7465	53345.06	19665	124200.45
21	Transport Equipment	397	5055.18	784	8675.15
22	Wood Furniture	2630	10419.67	8410	21732.46
23	Wool, Silk Etc.	794	2306.66	2304	5959.01
24	Other Manufacturing	185777	861563.79	392683	1592279.39
	Total	**254000**	**1258922.35**	**551740**	**2384601.71**

Annexure V

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Slab-Wise Guarantees approved during FY2011 & Cumulative as on 31 March, 2011

SNo.	MLI	FY 2011		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Upto 100,000/-	80596	44489.09	237624	116296.45
2	100,001 to 200,000/-	62465	90404.55	104735	155112.63
3	200,001 to 500,000/-	58694	205445.67	107843	380431.08
4	500,001 to 10,00,000/-	24069	190907.08	47224	375683.83
5	10,00001 to 25,00000/-	20288	333851.12	40216	673082.49
6	25,00,001 to 50,00,000/-	5448	205973.81	10322	393493.22
7	50,00,001 to 100,00,000/-	2440	187851.03	3776	290502.01
	Total	**254000**	**1258922.35**	**551740**	**2384601.71**

CMYK

Statement of Accounts

2010-11

CMYK

Auditor's Report

To,
The Board of Trustees,
Credit Guarantee Fund Trust For Micro & Small Enterprises
Mumbai

We have audited the attached Balance Sheet of Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises as at 31 March, 2011 and the Income and Expenditure Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date both annexed thereto;

These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Accounting Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit include examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis.

We report that;

a) We have obtained all the necessary information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law, have been kept by the Trust so far as it appears from our examination of the books;

c) The Balance Sheet, Income & Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts read together with notes thereon, give true and fair view:

   i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Trust as at 31March 2011 ,

   ii. In the case of Income and Expenditure Account, of the surplus of the Trust for the year ended on that date, and

   iii. In case of Cash Flow , cash flows of the Trust for the year ended on that date.

FOR D.C. BOTHRA & Co.

Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 112257W)
(PAWAN BOTHRA, M.No. 31215)
Partner

Place: Mumbai
Date: 28 September, 2011

Balance Sheet

Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises

Balance Sheet as on 31 March, 2011

Particulars	Schedules	(₹)	As on 31.03.2011 (₹)	(₹)	As on 31.03.2010 (₹)
Sources of Funds					
Corpus Fund	1		29,383,924,443		24,530,246,243
Current Liabilities & Provisions	2		4,017,541,532		4,020,627,349
Total			**33,401,465,975**		**28,550,873,592**
Application of Funds					
Fixed Assets					
Computer		1,295,339		741,812	
Less Depreciation		1,295,296	43	741,793	19
Furniture & Fixture		**-**		**-**	
Less Depreciation		-	-	-	-
Electrical Items		43,102		86,203	
Less Depreciation		21,551	21,551	43,101	43,102
			21,594		43,121
Investments	3		31,232,681,816		26,208,724,923
Current Assets					
Cash in hand			304		2,414
Bank Balance	4		37,065,848		13,459,445
Accrued Income	5		772,455,185		1,029,570,497
Prepaid & Advance for Expenses	6		196,689		323,285
Amount Recoverable from Tax Authorities	7		1,359,044,539		1,298,749,907
Total			**33,401,465,975**		**28,550,873,592**
Notes forming parts of Accounts	9				

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

THE ABOVE BALANCE SHEET TOGETHER WITH SCHEDULES ANNEXED THERETO IS HEREBY AUTHENTICATED BY US.

For D. C BOTHRA & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Reg. No.112257W

On behalf of the Board of Trustees

(PAWAN BOTHRA, M.No. 31215)
Partner

(S. Muhnot)
Chairman

Place: Mumbai
Date: 28 September, 2011

(Amarendra Sinha)
Vice Chairman

(U R Tata)
Member Secretary

Income And Expenditure

Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises

Income and Expenditure Account for the year ended 31 March, 2011

Particulars	Schedules	Amount (₹)	
		Current Year	Previous Year
INCOME			
Interest on Investments		2,179,903,925	2,946,535,589
Guarantee Fee		1,460,029,169	838,294,188
Annual Service Fee		399,604,593	175,114,684
Miscellaneous Receipts		227,790	15,864
Penal Interest Income		505	70,820
Recoveries by MLI's on Claim paid account		30,898,215	10,319,174
Profit on sale of Fixed Assets		11,994	-
		4,070,676,191	**3,970,350,319**
EXPENDITURE			
Operating and other Administrative Expenses	8	57,204,733	50,536,406
Provisions for Guarantee claims		600,000,000	-
Interest & Bank Charges		5,524	153,284
Depreciation		1,316,847	784,894
		658,527,104	51,474,584
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		**3,412,149,087**	**3,918,875,735**
Add / (Less) : Prior period items		(3,067,888)	1,425,664
Surplus before tax		**3,409,081,199**	**3,920,301,399**
Less: Provisions for Income tax		1,054,740,000	1,111,100,000
Less: Short Provision for the Tax for earlier Year		662,998	690,363,582
Surplus of Income over Expenditure carried to Corpus Fund		**2,353,678,201**	**2,118,837,817**
Notes forming parts of Accounts	**9**		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For D. C BOTHRA & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Reg. No.112257W

(PAWAN BOTHRA, M.No. 31215)
Partner

Place: Mumbai
Date: 28 September, 2011

THE ABOVE BALANCE SHEET TOGETHER WITH SCHEDULES ANNEXED THERETO IS HEREBY AUTHENTICATED BY US.

On behalf of the Board of Trustees

(S. Muhnot)
Chairman

(Amarendra Sinha)
Vice Chairman

(U R Tata)
Member Secretary

Schedule

Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises		
Schedules forming part of the Balance Sheet as on 31 March, 2011		
Particulars	**As on 31.03.2011 (₹)**	**As on 31.03.2010 (₹)**
Schedule : 1		
Corpus Fund		
Received from:		
Government of India	17,252,533,000	15,252,533,000
SIDBI	4,313,133,250	3,813,133,250
(Including the Corpus of Rs 25,00,00,000/- from SIDBI for RSF)		
(a)	**21,565,666,250**	**19,065,666,250**
Surplus of Income over expenditure		
Balance b/f	5,464,579,993	3,345,742,176
Add: Surplus of Current year	2,353,678,201	2,118,837,817
(b)	**7,818,258,193**	**5,464,579,993**
(a + b)	**29,383,924,443**	**24,530,246,243**
Schedule : 2		
Current Liabilities and Provisions		
Provision towards Guarantee claims (also see Note no 8 in Schedule 9)	3,991,996,899	3,991,616,617
Outstanding Liabilities towards expenses	3,148,007	2,181,977
Amount Reimbursable To SIDBI	3,508,031	2,645,538
Unclaimed Liability on A/c of Stale Cheque	1,618,940	1,206,084
TDS Payable	353,220	293,286
Insurance Claim received from LIC	200,000	400,000
Guarantee Fee Refundable	128,186	-
Annual Services Fee Refundable	49,205	-
Advance recd. towards GF & ASF from D C (Handicraft), GOI	16,539,044	22,283,847
	4,017,541,532	**4,020,627,349**
Schedule : 3		
Investments		
1) Investment in Fixed Deposits with Banks		
i) Investment of RSF Funds	250,000,000	250,000,000
ii) Investement of D C (Handicraft), GOI Advance	16,500,000	21,200,000
iii) Investment of Corpus & other Funds	30,713,081,816	25,927,524,923
2) Investment with IDBI under DIS	253,100,000	10,000,000
	31,232,681,816	**26,208,724,923**

Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises

Schedules forming part of the Balance Sheet as on 31 March, 2011

Particulars			As on 31.03.2011 (₹)	As on 31.03.2010 (₹)
Schedule : 4				
Bank Balance				
Current Accounts with:				
IDBI Bank Ltd..,			37,026,804	12,375,598
IDBI Bank Ltd.., - D C (Handicraft),GOI,			39,044	1,083,847
			37,065,848	**13,459,445**
Schedule : 5				
Accrued Income				
Interest on Investments less TDS			772,455,185	1,029,570,497
			772,455,185	**1,029,570,497**
Schedule : 6				
Receivables				
Prepaid Expenses			-	313,285
Amt recoverable from MLI's			53,110	-
Advance for Expenses			143,579	10,000
			196,689	**323,285**
Schedule : 7				
Amount Recoverable from Tax Authorities				
Income Tax refundable 31/3/07			523,218,921	523,218,921
Income Tax refundable 31/3/08			611,302,943	611,302,943
Advance Tax, TDS Paid 31/3/09			861,366,758	861,366,758
Advance Tax, TDS Paid 31/3/10			1,112,762,901	1,103,969,365
Advance Tax, TDS Paid 31/3/11			1,106,904,094	-
Fringe Benefit Tax Refundable			355,502	355,502
		(a)	**4,215,911,119**	**3,100,213,489**
Less:	Provision for Tax 31/03/09		690,363,582	690,363,582
	Provision for Tax 31/03/10		1,111,762,998	1,111,100,000
	Provision for Tax 31/03/11		1,054,740,000	-
		(b)	2,856,866,580	1,801,463,582
Amount Recoverable from Tax Authorities		**(a)-(b)=**	**1,359,044,539**	**1,298,749,907**

Schedule

Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises

Schedules forming part of the Income Expenditure Account for the Year Ended 31 March, 2011

Particulars	As on 31.03.2011 (₹)	As on 31.03.2010 (₹)
Schedule : 8		
Operating and Other Administrative Expenses		
Advertisement & Publicity Expenses	17,882,973	14,435,766
Auditors' Remuneration	220,600	86,725
Board Meeting Expenses	22,203	65,299
Conveyance & Vehicle Expenses	1,990,597	1,453,874
Courier/Postage Charges	331,493	344,366
Entertainment expenses	41,351	51,235
Insurance Charges	57,692	38,584
Internal Auditors remuneration	165,450	351,156
IT service	3,882,963	3,492,356
Membership Fees	100,000	-
Miscellaneous Expenses	95,035	69,011
Office Expenses	827,028	991,941
Chennai Office Expenses	666,762	-
Office Rent	7,336,000	6,669,090
Printing & Stationery	533,325	1,128,863
Professional Fee	650,681	308,885
Personnel Cost & Expenses	13,210,271	15,274,356
Seminar & Meeting Expenses	3,974,784	1,798,877
Service Charges paid to SIDBI	-	1,129,088
Telephone Expenses	389,793	429,112
Travelling Expenses	3,021,375	2,417,822
10th Foudation Day Expenses	1,804,358	-
	57,204,733	**50,536,406**

Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises

Schedule Forming Part of The Balance Sheet and Income and Expenditure Account

Schedule: 9

NOTES ON ACCOUNTS:

1. Significant Accounting Policies

a. Accounting Conventions

The accompanying financial statements have been prepared keeping in view the generally accepted accounting principles continuing historical accounting.

b. Recognition of Income and Expenditure

The Trust follows the cash basis of accounting in respect of Guarantee Fee and Annual Service Fee and accrual/ mercantile basis for Investment Income. Interest accrued on FDs is calculated on compounding basis on a quarterly / yearly basis as applicable.

c. Fixed Assets

Fixed assets have been stated at cost less depreciation. Rate of depreciation is taken at 100% on Computer, Furniture and fixture and 50% on Electrical appliances.

d. Investment

Investments have been stated at cost. Investments relating to Risk Sharing Fund (RSF) and fund received from the office of DC (Handicraft), Government of India have been separately stated in the Balance Sheet.

e. Prior Period Adjustment

Expenses and income pertaining to earlier / previous years are accounted as prior period items.

f. Retirement Benefits

Retirement benefits are provided by SIDBI for its employees on deputation to the Trust and charged to revenue account annually on reimbursement basis.

2. Cumulatively up to 31 March, 2011, the Trust had received 8209 (P.Y.4761) claim applications from 36 Member Lending Institutions. The Trust had settled 5237 (P.Y. 2506) eligible claims for ₹ 112.11 crore (P.Y. ₹ 53.02 crore) towards first instalment; 780 (P.Y. 533) applications were ineligible within the purview of the Scheme. 546 (P.Y.420) applications were incomplete, as stipulated conditions for claims settlement had not been complied on filing claim. 69 applications were withdrawn by MLI. Additional information of security details / subsidy amount , etc called for had not been received and therefore claims were temporarily closed. As on 31 March, 2011, 1577 (P.Y.1302) applications were pending for settlement, which have been disposed subsequently.

3.

₹ Crore

Particulars	As on 31-03-11	As on 31-03-10
Guarantee approval as on	23,846.01	11,559.61
Guarantee issued as on	21,157.00	10,250.12
Guarantee sanctioned, pending execution as on	2,689.01	1,309.49

Over and above the provision for claims held the Trust is contingentlyliable for guarantee given / sanctioned in the event of non-performance of the MSE for whose protection such guarantee is given/ sanctioned.

4. Trust is availing facility of office accommodation, staff & I T services from SIDBI. As per the Memorandum of Understanding entered into between SIDBI and the Trust on 04 October, 2001, the Trust pays service charge @ 20% on the expenses incurred by SIDBI on behalf of the Trust towards administrative expenses directly attributable to the functioning of the Trust till July 2009. However, with mutual decision the same was withdrawn w.e.f. August 2009.

5. The Trust pays 75% of the settled claim amount in the first instance, leaving balance amount to be paid after the compliances of prescribed legal procedures by MLIs. Only in 27 cases (P Y 7 cases) subsequent payment of 25% has been made. However, in other cases the MLIs have yet to comply fully the legal requirements making them eligible for the receipt of the balance.

Notes of Accounts

6. Auditor's Remuneration ₹ 2,20,600/- (P.Y. ₹ 2,04,055/-)

(In ₹)

Particulars	Current Year	Previous Year
Audit Fees	1,50,000	1,40,000
Tax Audit Fees	50,000	45,000
Service Tax	20,600	19,055
Total	2,20,600	*2,04,055

(* includes un provided amount of ₹ 1,17,330/- which was provided during the year as prior period items)

7. Taxation

   The income of the Trust was exempt from Income Tax for five previous years relevant to the Assessment Years commencing from 01 April, 2002 and ending on March 31, 2007. The Trust has obtained independent opinion from Tax Consultant that it is not liable to pay tax for FY 2007 and FY 2008. Trust has taken up the matter with IT department for refund of the income tax to the tune of ₹ 113.45 crore paid during FY 2007 and FY 2008. Trust has made provision for tax during the year towards current year liability at ₹ 105.46 Crore.

8. Trust has obtained report of Actuary giving estimate of liability on outstanding guarantees given. Actuary has evaluated provision for such claims evolving Regression Equation between claims lodged & guarantees issued. On outstanding guarantee amounts as on 31 March, 2011 the provision suggested by Actuary in his report is at ₹ 22,422 lakh. However, Board of Trustees considered for retaining existing Provisions without dilution and therefore, to the extent of claims paid during the year further provision is credited. Details of provision for such claims are as under:

(In ₹)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance as on 1st April	3,99,16,16,617	4,33,49,12,993
Less: Claim paid during the year	59,96,19,718	34,32,96,376
Add: Provision made during the year	60,00,00,000	Nil
Closing Balance as on 31st March	3,99,19,96,899	3,99,16,16,617

9. Particulars of expenditure in Foreign Currency (on Actual Basis)

(In ₹)

Particulars	Current Year	Previous Year
Participation Fees	81,070	62,257
Travelling & Others	7,15,016	5,68,902

10. Figures of previous year have been regrouped, reclassified and rearranged where ever necessary.

FOR D.C.BOTHRA & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 112257W

(PAWAN BOTHRA, M.NO.31215)
Partner

Place: Mumbai
Date : 28 September, 2011

On behalf of the Board of
Trustees

(Amarendra Sinha)
Vice-Chairman

(S Muhnot)
Chairman

(U. R. Tata)
Member Secretary

A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Mahatma Gandhi

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

सी. जी. टी. एम. एस. ई. का पंजीकृत कार्यालय
7 वाँ तल, एम. एस. एम. ई विकास केंद्र, सी – 11/जी – ब्लॉक,
ब्रांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स , बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

Registered Office of CGTMSE:
MSME Development Centre, 7th floor, C-11 / G-Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Tel.: 022 65290974 • Fax: 022 26541821 • Website: www.cgtmse.in